[2022] 12 एससीआर 873

सत्यजीत कुमार और अन्य

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

(2022 की सिविल अपील संख्या 4038)

अगस्त 02, 2022

[न्यायमूर्तिगण एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना]

भारत का संविधान - पांचवीं अनुसूची का कंडिका 5 (1), अनुच्छेद 14, 13 (2), 15, 16 (2), (3), 35 (क-झ) – क्या संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों में 100% आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है - अभिनिर्धारित संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) में खंड को राज्यपाल द्वारा बनाई गई विधि को निलंबित और/या उपांतरित करने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में पढ़ा जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 और 245 के बावजूद संसद- इसे संविधान के भाग III में निहित प्रावधानों के बावजूद राज्यपाल को पूर्ण शक्ति और/या निरंकुश शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है - वर्तमान मामले में, संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने वाला आक्षेपित आदेश/अधिसूचना पांचवें के कंडिका 5 (1) के तहत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर है। संविधान की अनुसूची - 100% आरक्षण अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन है जो भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत गैर-अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के अन्य उम्मीदवारों/नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है - पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) और अनुच्छेद 14 के लिए आक्षेपित अधिसूचना को असंवैधानिक और अधिकारातीत मानने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। 13 (2), 15 और 16(2) – यह अनुच्छेद 16(3) और 35(क-ज) का भी उल्लंघन है - हालांकि, तथ्यों के आधार पर, अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में पहले से की गई नियुक्तियों को अलग करके नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया के बजाय, राज्य पूरे राज्य के संबंध में संबंधित श्रेणियों के खिलाफ प्रत्येक टीजीटी विषय में अंतिम चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त पहले से प्रकाशित कट ऑफ के आधार पर मेरिट सूची को संशोधित करेगा - संबंधित उम्मीदवार गैर-अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित

क्षेत्रों (जिलों) को उम्मीदवारों की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर तदनुसार समायोजित किया जाएगा - झारखंड सरकार (माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सेवा और शर्तें) नियम, 2015 - सेवा कानून - भारत का संविधान - अनुच्छेद 142।

भारत का संविधान - पांचवीं अनुसूची का कंडिका 5(1), अनुच्छेद 309 – झारखंड सरकार (माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सेवा और शर्तें) नियम, 2015 – क्या संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए प्रासंगिक भर्ती नियमों को संशोधित करने की शक्ति है - अभिनिर्धारित: भर्ती नियमों को संशोधित करते हुए भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) के तहत राज्यपाल द्वारा शक्तियों का प्रयोग, अनुच्छेद के तहत तैयार किए गए 2015 का नियम जिन्हें अधीनस्थ कानून कहा जा सकता है और जिसे संसद और/या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया अधिनियम या कानून नहीं कहा जा सकता है, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) के तहत राज्यपाल की शक्ति के दायरे और दायरे से बाहर है।

भारत का संविधान - पांचवीं अनुसूची का कंडिका 5(1) – राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियां - कार्यक्षेत्र और कार्यक्षेत्र का प्रयोग - चर्चा की गई।

भारत का संविधान - पांचवीं अनुसूची का कंडिका 5, एक अपवाद - अभिनिर्धारित: संसद द्वारा बनाई गई विधि सर्वोच्च है और प्रबल होगी और प्रत्येक राज्य/राज्य विधानमंडल संसद द्वारा बनाई गई विधि से बाध्य है - हालांकि, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची का कंडिका 5 एक अपवाद है - पूर्वोक्त प्रावधानों के बावजूद, संसद द्वारा बनाई गई विधि को सर्वोच्चता प्रदान करना, राज्यपाल निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा या किसी अनुसूचित क्षेत्र या राज्य के किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, लागू नहीं होगा- इस प्रकार: अभिव्यक्ति "इस संविधान में किसी बात के बावजूद" संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कानून की सर्वोच्चता के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है।

सेवा कानून- अवैध और अनियमित नियुक्तियां - के बीच भेद - अभिनिर्धारित: अवैध और अनियमित नियुक्ति के बीच अंतर है और पूर्व को नियमित नहीं किया जा सकता है।

आंशिक रूप से अपीलों की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा:

अभिनिर्धारित 1.1 अनुच्छेद 246 (1) के अनुसार, खंड(2) और (3) में निहित किसी भी बात के बावजूद, संसद के पास सातवीं अनुसूची (संघ सूची) में सूची I में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति होगी। अनुच्छेद 246(2) के अनुसार, खंड (3), संसद में किसी बात के होते हुए भी, और खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधान-मंडल को सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची) की सूची III में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति भी होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी प्रावधान के प्रतिकूल है, जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, या समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों में से किसी एक के संबंध में मौजूदा कानून के किसी प्रावधान के लिए, तब, खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में पारित की गई हो या यथास्थिति, विद्यमान विधि अभिभावी होगी और राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि, प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य होगी। इस प्रकार, पूर्वोक्त संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संसद द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च है और प्रबल होगा और प्रत्येक राज्य/राज्य विधानमंडल कानून से बंधा हुआ है। हालाँकि, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची द्वारा बनाया गया कंडिका 5 एक अपवाद है। उपर्युक्त उपबंधों के होते हुए भी, संसद द्वारा बनाई गई विधि को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए, राज्यपाल निदेश दे सकेगा कि संसद का या राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा या किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, लागू नहीं होगा। इस प्रकार, अभिव्यक्ति "इस संविधान में किसी भी बात के बावजूद" संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कानून की सर्वोच्चता के बारे में संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है। [कंडिका 17.2] [922-घ-ज; 923-क-घ]

1.2 संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) में अंतवष्ट अबाध खंड को संविधान के अनुच्छेद 244 और 245 के बावजूद संसद द्वारा बनाई गई विधि को निलंबित और/या उपांतरित करने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में पढ़ा जाएगा। इसे संविधान के भाग-3 में निहित प्रावधानों के बावजूद राज्यपाल को पूर्ण शक्ति और/या निरंकुश शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। सुरक्षात्मक तरीके से जिस आरक्षण की अनुमति है, उसे 100 प्रतिशत बनाकर भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य हो जाएगा। पदधारियों को अन्यायपूर्ण तरीके से सार्वजनिक रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है और यह कुछ लोगों का

विशेषाधिकार भी नहीं है। नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं और एक वर्ग के लिए अवसर सृजित करके अन्य लोगों को पूरी तरह से बहिष्कृत करने पर भारत के संविधान के संस्थापकों ने विचार नहीं किया है। [कंडिका 18.5 और 19] [926-घ-च, छ-ज]

इंद्रा साव्हने और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। 1992 सप्प (3) एससीसी 217: [1992] 2 सप्ल. एससीआर 454 – का सन्दर्भ लिया गया।

1.3 चेबरोलू लीला प्रसाद राव के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, मामले के तथ्यों के अनुसार, आक्षेपित आदेश/अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.07.2016 को संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करते हुए कहा जा सकता है कि (1) भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची; (2) केवल संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए प्रदान किया गया 100% आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन होगा और भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत गैर-अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के अन्य उम्मीदवारों / नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करेगा, (3) भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 (1) के तहत राज्यपाल द्वारा शक्तियों का प्रयोग भर्ती नियम, 2015 को संशोधित करना, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए हैं, जिन्हें अधीनस्थ कानून कहा जा सकता है और इसे संसद और/या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया अधिनियम या कानून नहीं कहा जा सकता है, कंडिका 5 (क) भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची की प्रविष्टि सं 1 के उप-खंड (1) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 [कंडिका 20] [928-घ-ज; 929-क] चेबरोलू लीला प्रसाद राव व अन्य बनाम चेबरोलू लीला प्रसाद राव आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (2021) 11 एससीसी 401 - का सन्दर्भ लिया गया।

1.4 जिस बात पर विचार करने की आवश्यकता है वह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात और कानून है। इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट कानून निर्धारित किया गया है। संविधान पीठ का निर्णय जो प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और इस न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार करने के बाद दिया गया है, इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय के प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और/या बाध्यकारी निर्णयों पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। चेबरोलू लीला प्रसाद राव के मामले में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले को भी इस न्यायालय के किसी भी बाध्यकारी निर्णय की तुलना में अनदेखी और/या विपरीत दृष्टिकोण अपनाने वाला

नहीं कहा जा सकता है। यह न्यायालय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से बंधा हुआ है, विशेष रूप से, इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले से। चेबरोलू लीला प्रसाद राव के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी संविधान पीठ के फैसले का पालन नहीं करने का कोई कारण नहीं है। चेबरोलू लीला प्रसाद राव के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है। [कंडिका 21] [929-ग-च]

1.5 यह सच हो सकता है कि जहां तक बुनियादी शिक्षा (प्राथमिक अनुभाग के स्तर पर) का संबंध है, इससे प्राथमिक स्तर पर (बुनियादी शिक्षा प्रदान करते समय) छात्रों को उनकी अपनी जनजातीय भाषा में पढ़ाने में मदद मिल सकती है। लेकिन यही सिद्धांत तब लागू नहीं हो सकता है जब प्रश्न उच्च स्तर पर यानी 5 वीं कक्षा से ऊपर की शिक्षा प्रदान करने का हो। अतः यदि अन्य क्षेत्रों (गैर-अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों) के अभ्यर्थियों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाता है (जो अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के उम्मीदवारों से अधिक मेधावी हो सकते हैं) तो यह अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित छात्रों के लिए अधिक लाभदायक होगा और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा। स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता से उन्हीं/कुछ जिलों के शिक्षकों के पक्ष में 100% आरक्षण देकर और अधिक मेधावी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाकर समझौता नहीं किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि दिनांक 14.07.2016 के आक्षेपित आदेश/अधिसूचना और संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने वाले विज्ञापन को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन कहा जा सकता है। आक्षेपित आदेश/अधिसूचना जिसमें 100% संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन है क्योंकि यह भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत गैर-अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवार को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या कम करता है और अनुच्छेद 13(2) के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। इसलिए, संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण करने वाली अधिसूचना/आदेश/विज्ञापन को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधिकारातीत होगा और शून्य होगा। [कंडिका 22.1 और 23] [930-ज; 931-क-ग]

1.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(3) के अधीन भी, यह केवल संसद ही है जो किसी वर्ग या वर्गों के नियोजन या सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या संघ राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के संबंध में विहित करने के लिए प्राधिकृत है, इस तरह के रोजगार या नियुक्ति से पहले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास के रूप में कोई आवश्यकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार, संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद के पास और किसी राज्य के विधान-मंडल को ऐसे किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के लिए अनुच्छेद 16 के खंड (3) के अधीन उपबंधित किया जा सकता है। इसलिए, संबंधित अनुसूचित क्षेत्र/जिलों के स्थानीय निवासी (निवासी के आधार पर आरक्षण) के लिए 100% आरक्षण करने वाली आक्षेपित अधिसूचना/आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुच्छेद 16(3) के अधिकारातीत है। [कंडिका 24] [931-च -ज; 932-क -ख]

1.7 चेबरोलू लीला प्रसाद राव के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए और उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने और यह मानने में कोई त्रुटि नहीं की है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.7.2016 में संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण प्रदान किया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 13(2), 15 और 16(2) के अधिकारातीत हैं। यह सही रूप से देखा गया है और माना गया है कि उक्त अधिसूचना और आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (3) और 35 (क-झ) का भी उल्लंघन करेगा। उच्च न्यायालय ने भी सही टिप्पणी की है और माना है कि उपर्युक्त अधिसूचना और आदेश भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) के अधिकारातीत है। यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। एक बार दिनांक 14.07.2016 की अधिसूचना/आदेश को अधिकारातीत माना जाता है, तो आवश्यक परिणाम के रूप में, ऐसी असंवैधानिक अधिसूचना/आदेश के अनुसरण में की गई नियुक्तियों को रद्द करना होगा और ऐसी नियुक्तियों को नियमित नहीं किया जा सकता है। अवैध और अनियमित नियुक्ति के बीच अंतर है और पूर्व को नियमित नहीं किया जा सकता है। [कंडिका 25] [932-ख -घ]

1.8 वर्तमान मामले में, आक्षेपित अधिसूचना/आदेश वर्ष 2016 का है। टीजीटी भर्ती प्रक्रिया दिनांक 28.12.2016 के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई थी, जिसे 04.02.2017 को संशोधित किया गया था और वर्ष 2017 में ही भर्ती प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान इसे चुनौती दी गई थी। यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि दिनांक 21.2.2019 के आदेश

द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि रिट याचिका के संस्थान के बारे में व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किया जाए ताकि इच्छुक व्यक्ति रिट याचिका में हस्तक्षेप कर सके। इस तरह के नोटिस के अनुसरण में, कई वादकालीन आवेदन/हस्तक्षेपकर्ता आवेदन दायर किए गए, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई। इसके बाद, दिनांक 18.09.2019 के आदेश द्वारा, मामलों में शामिल संवैधानिक महत्व के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा तय किए जाने के लिए संदर्भित किया। दिनांक 18.09.2019 के उसी आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.7.2016 के आगे कार्यान्वयन और संचालन पर रोक लगा दी, बशर्ते कि पहले से की गई नियुक्तियां, यदि कोई हों। इस प्रकार, पूर्वोक्त से यह देखा जा सकता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता हमेशा सतर्क और मेहनती होते हैं और पहले उपलब्ध अवसर पर उच्च न्यायालय से संपर्क करते हैं। अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए उनके मामलों पर विचार करने का उनका बहुमूल्य अधिकार छीन लिया गया है। वे उच्च न्यायालय के समक्ष सफल रहे हैं। इसलिए, तथ्यों और मामले की परिस्थिति, अपीलकर्ताओं की ओर से आक्षेपित निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को भविष्य में पारित करने के लिए भरोसा किया गया निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं की ओर से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को भावी रूप से लागू करने की प्रार्थना, खारिज करने योग्य है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। [कंडिका 26.3] [933-च-ज; 934-क-ग]

कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। (2002) 6 एससीसी 562: [2002 1 सप्ल. एससीआर 317 - अनुपयुक्त माना गया।

1.9 हालांकि, एक ही समय में और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अधिक विशेष रूप से, पहले से की गई नियुक्तियों को रद्द करने और रद्द करने से अधिक जटिलता की संभावना है जो बड़े सार्वजनिक हित में नहीं होगी। इसलिए, यह राहत को ढालने के लिए एक उपयुक्त मामला है। इस तथ्य के अलावा कि यहां अपीलकर्ता - अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों से संबंधित चयनित उम्मीदवार पहले से ही पिछले लगभग तीन वर्षों से काम कर रहे हैं, यदि पहले से की गई नियुक्तियों को संरक्षित नहीं किया जाता है तो झारखंड राज्य में हजारों स्कूल शिक्षकों के बिना होंगे और अंततः आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे पीड़ित होंगे। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में की गई सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराया है और आगे नई भर्ती

करने का निदेश दिया है, को ध्यान में रखते हुए राज्य को नई भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें काफी समय लग सकता है और इस बीच, जनजातीय क्षेत्रों में रिक्तियां होंगी और स्कूलों की संख्या शिक्षकों के बिना होगी। इसलिए, न्यायालय को मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अधिकारों के साथ-साथ पहले से नियुक्त व्यक्तियों/शिक्षकों (जिनकी नियुक्तियों को अवैध माना जाता है) और जनहित के बीच संतुलन बनाना होगा। इसलिए, राहत प्रदान करते समय, नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बजाय, यदि संशोधित योग्यता के आधार पर नई चयन सूची तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं और संबंधित श्रेणियों के प्रति प्रत्येक टीजीटी विषय में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा पहले से ही प्रकाशित कट ऑफ के आधार पर जारी किए जाते हैं, तो यह न्याय के अंत को पूरा करेगा और प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच संतुलन बनाएगा ताकि पहले से ही नियुक्त व्यक्ति को अपना रोजगार/नौकरी नहीं खोना है और साथ ही गैर-अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों को अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में योग्यता के आधार पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति का अवसर भी मिल सकता है। नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया में जाने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश में निर्देशित किया गया है। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 14.07.2016 को असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16(2), 16(3) और 35(क-झ) के अधिकारातीत घोषित करने का आदेश बरकरार रखा जाता है। यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। हालांकि, इसके साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2016 की अधिसूचना/आदेश और 2016 के विज्ञापन संख्या 21 दिनांक 28.12.2016 के अनुसार की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करते हुए और अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आक्षेपित निर्णय और आदेश में जारी निर्देशों को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है। अब यह निदेश दिया जाता है कि अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में पहले से की गई नियुक्तियों को रद्द करके नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया के बजाय, राज्य प्रत्येक टीजीटी विषय में अंतिम चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त पहले से प्रकाशित कट ऑफ के आधार पर मेरिट सूची को संबंधित श्रेणियों के खिलाफ संशोधित करेगा और गैर-अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों (जिलों) से संबंधित उम्मीदवारों को तदनुसार समायोजित किया जाएगा उम्मीदवारों की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर। वर्तमान निदेश मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए जारी किए गए हैं कि राज्य में (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों क्षेत्रों में) शिक्षकों के पद पहले से ही रिक्त हैं। यदि पहले से की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाता है और ऐसे

पदों के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में कई स्कूल बिना किसी शिक्षक के होंगे जो अंततः अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित बच्चों की व्यापक जनहित और शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान निदेश अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के व्यापक जनहित में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है। [अनुच्छेद 27 और 28] [934-घ-ज; 935- क-ज; 936-क]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य। (2006) 4 एससीसी 1: [2006] 3 एससीआर 953 - पर भरोसा किया गया। ए.वी.एस. नरसिम्हा राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (1969) 1 एससीसी 839: [1970] 1 एससीआर 115; डॉ. प्रदीप जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (1984) 3 एससीसी 654: [1984] 3 एससीआर 942; राजेश कुमार गुप्ता व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। (2005) 5 एससीसी 172: [2005] 3 एससीआर 1171; उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम सुधीर कुमार बिश्वाल एवं अन्य। (1994) सप्प 3 एससीसी 245: [1994] 2 सप्ल. एससीआर 665; ए.वी.एस नरसिम्हा राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [1970] 1 एससीआर 115; कृपाल भगत बनाम बिहार राज्य [1970] 3 एससीआर 233 पूरनलाल लखनपाल बनाम भारत के राष्ट्रपति एआईआर 1961 एससी 1519: [1962] 1 एससीआर 688; केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 4 एससीसी 225: [1973] पूरक एससीआर 1; डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 362 पी. राजेंद्रन बनाम मद्रास राज्य [1968] 2 एससीआर 786; एन. वसुंधरा बनाम मैसूर राज्य (1971) 2 एससीसी 22; जयश्री बनाम केरल राज्य (1976) 3 एससीसी 730: [1977] 1 एससीआर 194; हनुमान दत्त शुक्ल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 16 एससीसी 447; के माधव रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014) 6 एससीसी 537: [2014] 7 एससीआर 348; आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य (1995) 2 एससीसी 745: [1995] 2 एससीआर 35; बाबूराम वी.सी.सी. जैकब (1999) 3 एससीसी 362; भारत संघ और अन्य बनाम तुलसीराम पटेल (1985) 3 एससीसी 398: [1985] 2 सप्ल. एससीआर 131; जे के स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड स्टेट ऑफ़ यूपी एआईआर 1961 एससी 1170: [1961] 3 एससीआर 185; अनुपाल सिंह बनाम यूपी राज्य (2020) 2 एससीसी 173: [2019] 12 एससीआर 1071; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम आनंद कुमार यादव और अन्य (2018) 13 एससीसी 560: [2017] 10 एससीआर 428; रेणु बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश (2014) 15 एससीसी 731; मध्य प्रदेश राज्य बनाम धरम बीर (1998) 6 एससीसी 165: [1998] 3 एससीआर 511; सैयद खालिद रिजवी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (3) एससीसी 575: [1992] 3 सप्ल. एससीआर

180;883 सूरजप्रकाश गुप्ता एवं अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य (2000) 7 एससीसी 561: [2000] 3 एससीआर 807; आर.एस. गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के संबंध में कोई निर्णय (2006) 6 एससीसी 430: [2006] 4 सप्ल. एससीआर 120; राजेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2013) 4 एससीसी 690: [2013] 4 एससीआर 753; रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 2 एससीसी 357: [2017] 12 एससीआर 95; वामन राव बनाम भारत संघ (1981) 2 एससीसी 362: [1981] 2 एससीआर 1; आईआर कोएल्हो (मृत) एलआरएस द्वारा बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) 2 एससीसी 1: [2007] 1 एससीआर 706; एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001) 7 एससीसी 126: [2001] 1 सप्ल. एससीआर 621; अजय हसिया वी. खालिद मुजीब सहरावदी (1981) 1 एससीसी 722: [1981] 2 एससीआर 79; ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) 2 एससीसी 3: [1974] 2 एससीआर 348; मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) 1 एससीसी 248: [1978] 2 एससीआर 621; रमना दयाराम शेट्टी बनाम भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य [1979] 3 एससीसी 489 : [1979] 3 एससीआर 1014; नीलिमा मिश्रा बनाम हरिंदर कौर पेंटल (1990) 2 एससीसी 746: [1990] 2 एससीआर 84; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (1992) 2 एससीसी 343: [1992] 1 एससीआर 406 - संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ

[2002] 1 सप्ल. एससीआर 317 अनुपयुक्त पाया गया कंडिका 3.8

[1970] 1 एससीआर 115 संदर्भित कंडिका 3.8

[1984] 3 एससीआर 942 संदर्भित कंडिका 3.8

[2005] 3 एससीआर 1171 संदर्भित कंडिका 3.8

[1994] 2 सप्ल एससीआर 665 संदर्भित कंडिका 3.8

[1992] 2 सप्ल एससीआर 454 निर्दिष्ट कंडिका 3.8

[2021] 11 एससीसी 401 निर्दिष्ट कंडिका 3.8

[1970] 1 एससीआर 115 निर्दिष्ट कंडिका 7.7

[1970] 3 एससीआर 233 निर्दिष्ट कंडिका 7.9

[1962] 1 एससीआर 688 निर्दिष्ट कंडिका 7.9

[1973] सुप्प्ल. एससीआर 1 निर्दिष्ट कंडिका 7.13

[1968] 2 एससीआर 786 निर्दिष्ट कंडिका 8.2

[1971] 2 एससीसी 22 निर्दिष्ट कंडिका 8.3

[1977] 1 एससीआर 194 निर्दिष्ट कंडिका 8.3

[2018] 16 एससीसी 447 निर्दिष्ट कंडिका 10

[2014] 7 एससीआर 348 निर्दिष्ट कंडिका 11.1

[1995] 2 एससीआर निर्दिष्ट कंडिका 11.1

[1999] 3 एससीसी 362 निर्दिष्ट कंडिका 11.1

[1985] 2 पूरक एससीआर 131 निर्दिष्ट कंडिका 12.3

[1961] 3 एससीआर 185 निर्दिष्ट कंडिका 12.5

[1994] 2 पूरक एससीआर 665 निर्दिष्ट कंडिका 13.4

[1970] 1 एससीआर 115 निर्दिष्ट कंडिका 13.5

[2005] 3 एससीआर 1171 निर्दिष्ट कंडिका 13.5

[1984] 3 एससीआर 942 निर्दिष्ट कंडिका 13.7

[2019] 12 एससीआर 1071 निर्दिष्ट कंडिका 13.9 (I)

[2017] 10 एससीआर 428 निर्दिष्ट कंडिका 13.9 (II)

[2014] 15 एससीसी 731 निर्दिष्ट कंडिका 13.9 (III)

[1998] 3 एससीआर 511 निर्दिष्ट कंडिका 13.9 (IV)

[1992] 3 सुप्प्ल. एससीआर 180 निर्दिष्ट कंडिका 13.9 (V)

[2000] 3 एससीआर 807 निर्दिष्ट कंडिका 13.9 (VI)

[2006] 4 सप्प्ल. एससीआर 120 निर्दिष्ट कंडिका 13.9 (VII)

[2006] 3 एससीआर 953 निर्दिष्ट कंडिका 13.9 (VIII)

[2013] 4 एससीआर 753 निर्दिष्ट कंडिका 13.9

[2017] 12 एससीआर 95 निर्दिष्ट कंडिका 13.10

[1973] सुप्ल. एससीआर 1 निर्दिष्ट कंडिका 18.4

[1981] 2 एससीआर 1 निर्दिष्ट कंडिका 18.4

[2007] 1 एससीआर 706 निर्दिष्ट कंडिका 18.4

[2001] 1 पूरक एससीआर 621 निर्दिष्ट कंडिका 18.4

[1981] 2 एससीआर 79 निर्दिष्ट कंडिका 18.4

[1974] 2 एससीआर 348 निर्दिष्ट कंडिका 18.4

[1978] 2 एससीआर 621 निर्दिष्ट कंडिका 18.4

[1979] 3 एससीआर 1014 निर्दिष्ट कंडिका 18.4

[1990] 2 एससीआर 84 निर्दिष्ट कंडिका 18.4

[1992] 1 एससीआर 406 निर्दिष्ट कंडिका 18.4

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2022 की सिविल अपील संख्या 4038

2017 की रिट याचिका (सी) संख्या 1387 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 21.09.2020 के निर्णय और आदेश से।

2022 की सिविल अपील संख्या 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050 और 4079 के साथ।

विकास सिंह, राजीव धवन, आर. वेंकटरमानी, पीएस पटवालिया, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, कपिल सिब्बल, सुनील कुमार, अरुणाभ चौधरी, गोपाल शंकरनारायणन, अजीत कुमार सिन्हा, श्रीमती वी. मोहना, कॉलिन गोंजाल्विस, पल्लव शिशोदिया, रंजीत कुमार, सीनियर एडवोकेट, प्रशांत शुक्ला, सुयश श्रीवास्तव, सुश्री श्रेया मिश्रा, प्रवीण गौड़, करण ममगेन, प्रखर श्रीवास्तव, चितवन सिंघल, प्रवीण विवनेश, सुश्री प्रतिभा शुक्ला, सत्यजीत कुमार, सुश्री प्रज्ञा बघेल, विष्णु शर्मा, कुमार अनुराग सिंह, कुमार अभिषेक, शशांक पल्लवी लंगर, मिथिलेश कुमार सिंह, श्रीमती

मंजू सिंह, तरुण वर्मा, राज मणि मिश्रा, कबीर दीक्षित, अमित अग्रवाल, विज्ञान शाह, सुश्री राधिका यादव, अक्षित गुप्ता, हरिंदर नील, सुश्री रोहिणी प्रसाद, पुनीत जैन, विज्ञान शाह, सुश्री क्रिस्टी जैन, सुश्री श्रुति सिंह, अक्षित गुप्ता, उमंग मेहता, योगित कामत, कमलेश शर्मा, हरेंद्र नील, पुखराज चावला, मान अरोड़ा, यश जोशी, सारा शर्मा, प्रज्ञा सेठी, अनुभव कुमार फॉर मेसर्स मनोज स्वरूप एंड कंपनी, विक्रम सिंह कुशवाहा, रूपेन्शु प्रताप सिंह, विकास गोठवाल, सुरजीत सिंह, विश्व पाल सिंह, डीडी शर्मा, सुनील कुमार पांडेय, मोहन लाल शर्मा, के. परमेश्वर, प्रियांक उपाध्याय, कृष्ण कुमार सिंह, साहिल भालाइक, सुश्री शोमिला बख्शी, गोविंद जी, ओमानकुट्टन केके, प्रशांत भूषण, सुश्री एलिस राज, ब्रजेश पांडेय, अनिलेंद्र पांडे, चेतन जोशी, सिद्धार्थ सीम, संदीप कुमार द्विवेदी, सुश्री सावित्री वर्मा, राकेश मिश्रा, रवि चंद्र प्रकाश, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, ललित कुमार सिंह, विज्ञान शाह, मुकेश कुमार सिंह, सुश्री वाणी व्यास मैसर्स रवि चंद्र प्रकाश एंड कंपनी, हितेश कुमार शर्मा, एसके राजोरा, अखिलेश्वर झा, ई. विनय कुमार, एडवोकेट उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह द्वारा

1.0 2017 की रिट याचिका संख्या 1387 और अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं और संबंधित आवेदनों में पारित दिनांक 21.09.2020 के आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं की अनुमति दी है और यह अवलोकन, धारण किया और घोषित किया है कि झारखंड राज्य द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.07.2016 और 2016 के विज्ञापन संख्या 21 दिनांक 28.12.2016 द्वारा संशोधित 2016 के विज्ञापन संख्या 21 प्रकाशित राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.12.2017 को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखंड राज्य में तेरह अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय उम्मीदवारों/निवासियों के लिए शत-प्रतिशत आरक्षण को अवैध, अधिकारातीत और असंवैधानिक बनाने की सीमा तक सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया था और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त विज्ञापन, अनुसूचित जिलों में उन जिलों के स्थानीय निवासियों से संबंधित मूल प्रतिवादियों - तेरह अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवारों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2.0. 2022 की सिविल अपील संख्या 4043 को उन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राथमिकता दी गई है जो उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, जिन्होंने उन्हें नियुक्त नहीं करने में राज्य

सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि राज्य सरकार ने 2017 की रिट याचिका संख्या 1387 में पारित उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की गलत व्याख्या की है। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति और 2016 की विज्ञापन अधिसूचना संख्या 21 के संबंध में था। हालांकि, जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, उनके अनुसार, वे लोअर डिवीजनल क्लर्क (कलेक्ट्रेट कैडर) के पद के लिए 2017 के विज्ञापन संख्या 1 और 2017 के 2 के पात्र आवेदक हैं - जिला स्तरीय पद पंचायत सचिव - जिला स्तर के पद और लोअर डिवीजनल क्लर्क- राज्य स्तर के पद, राज्य आशुलिपिक - राज्य स्तरीय पद और उच्च न्यायालय के समक्ष आंदोलन के मुद्दे से किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि वे उपरोक्त पदों के संबंध में अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वर्ष 2019 में झारखंड कर्मचारी चयन समिति द्वारा की गई दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया से भी गुजर चुके हैं।

2.1. 2022 की सिविल अपील संख्या 4048 को झारखंड राज्य द्वारा 2021 के अवमानना वाद संख्या 109 में पारित उच्च न्यायालय दिनांक 4.3.2022 द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2022 की सिविल अपील संख्या 4048 गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में है, जिन्होंने पहले उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थीं और उच्च न्यायालय ने गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया था। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आगे अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।

2.2. 2022 की सिविल अपील संख्या 4050 को अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा पसंद किया गया है और जिन्होंने उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में आवेदन किया है और जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18.09.2019 के बाद नियुक्त नहीं किया गया है।

3.0. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1. राष्ट्रपति की दिनांक 11-04-2007 की अधिसूचना के अनुसरण में झारखण्ड राज्य के 13 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह कि उक्त अधिसूचना भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 6 के उप-कंडिका (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना के अनुसरण में, झारखंड राज्य में निम्नलिखित

जिलों को अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के रूप में घोषित किया गया था। 1. रांची जिला 2. लोहरदग्गा जिला 3. गुमला जिला 4. सिमडेगा जिला 5. लातेहार जिला 6. पूर्व-सिंहभूम जिला 7. पश्चिम-सिंहभूम जिला 8. सरायकेला- खरसावां जिला 9. साहेबगंज जिला 10. दुमका जिला 11. पाकुड़ जिला 12. जामताड़ा जिला 13. पलामू जिला- सतबरवा ब्लॉक की रबड़ा और बकोरिया पंचायतें। 14. गोड्डा जिला- सुंदरपहाड़ी और बोआरिजोर ब्लॉक। (इसके बाद "अनुसूचित क्षेत्रों" के रूप में संदर्भित

3.2. कि राज्य सरकार ने "झारखंड सरकार (माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सेवा और शर्तें) नियम, 2015 जारी किए, जिसके माध्यम से दिनांक 1.3.2016 की अधिसूचना के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शर्तें/योग्यता निर्धारित की गई थीं। 2016 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 4806 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, परिपत्र दिनांक 18.04.2016 के माध्यम से राज्य सरकार ने "झारखंड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा निर्धारित की। उक्त परिपत्र के अनुसार, झारखंड के स्थानीय निवासी को ऐसा भारतीय नागरिक माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करेगा.......

"(i) वह झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर रह रहा होगा और या तो उसका अपना नाम या उसके पूर्वज का नाम सर्वेक्षण खाता में दर्ज किया गया होगा। भूमिहीनों के मामलों में, उनकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी जो झारखंड राज्य में प्रचलित भाषा, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होगी।

(ii) पिछले 30 वर्षों या उससे अधिक समय से किसी व्यापार, रोजगार और अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर रह रहा हो और उसने अचल संपत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो और झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की हो।

(iii) झारखंड राज्य सरकार के तहत नियुक्त और कार्यकारी अधिकारी / कर्मचारी राज्य सरकार, निगम आदि द्वारा चलाए जा रहे / मान्यता प्राप्त संस्थानों को नियुक्त किया गया होगा या पत्नी/पति/बच्चा है और झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

(iv) भारत सरकार का अधिकारी/कर्मचारी, जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या जिसकी पत्नी/पति/बच्चा हो और झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हो।

(v) झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या सांविधिक पद पर नियुक्त व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति/बच्चा है और झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

(vi) ऐसा व्यक्ति जिसने झारखंड राज्य में जन्म लिया हो और झारखंड राज्य में स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैट्रिक या उसके समकक्ष स्तर तक अपनी पूरी शिक्षा पूरी की हो और झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की हो।

3.3. इसके बाद, राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.7.2016 के साथ निर्देश दिया कि राज्य के तेरह अनुसूचित जिलों में, संबंधित जिलों (तेरह अनुसूचित जिले) के स्थानीय निवासी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस (10) वर्ष की अवधि के लिए जिला कैडर वर्ग III और श्रेणी IV पदों पर नियुक्त होने के पात्र होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश झारखंड के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 के उप-कंडिका (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। दिनांक 14.07.2016 के आदेश में यह निम्नानुसार देखा गया है:

"और जबकि, राज्य में अनुसूचित क्षेत्र निम्न मानव विकास सूचकांकों, पिछड़ेपन, दूरस्थता गरीबी की विशेषता है और जबकि अनुसूचित क्षेत्रों के सामाजिक संकेतक औसतन, असमान स्थलाकृति, जल संसाधनों की कमी के कारण राज्य में सामाजिक संकेतकों के औसत से कम हैं। वन के कैनोपी कवरेज में नुकसान और अनियंत्रित तेजी से औद्योगिकीकरण;

और जबकि, ऊपर पहचाने गए कारकों को पहचानते हुए, झारखंड की जनजातीय सलाहकार परिषद ने 13 जिलों अर्थात् साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिलों में जिला कैडर वर्ग III और श्रेणी IV पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जाएगी।

और जबकि, अनुसूचित क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करके अनुसूचित क्षेत्रों में लोगों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए झारखंड के राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के पक्ष में है।"

3.4. इसके बाद दिनांक 11.11.2016 को अगला आदेश प्रकाशित किया गया जिसमें विशेष रूप से यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 14.07.2016 की अधिसूचना संख्या 5938 के अनुपालन में केवल संबंधित जिलों के स्थानीय निवासियों को ही राज्य के 24 जिलों में से 13 अधिसूचित जिलों में जिला स्तरीय श्रेणी III और श्रेणी IV के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता है और इन जिलों में अन्य जिलों/अन्य राज्यों के लोगों की नियुक्ति

की अनुमति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह स्पष्ट कर दिया गया था कि गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवार अनुसूचित जिलों में चयन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं।

3.5. दिनांक 14.07.2016 की अधिसूचना संख्या 5938 के अनुसरण में दिनांक 04.02.2017 के विज्ञापन द्वारा यथासंशोधित 2016 के विज्ञापन सं. 21 के अनुसरण में 17,784 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से 13,398 पद (कुल विज्ञापित पदों का 75 प्रतिशत पद) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने थे और शेष 25 प्रतिशत पद अर्थात् 100 प्रतिशत पद 17,784 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राथमिक शिक्षकों के लिए 4386 पद आरक्षित थे। उक्त विज्ञापन झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (इसके बाद " झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग " के रूप में संदर्भित) के माध्यम से जारी किया गया था। कंडिका 5(iii) में विज्ञापन में यह कहा गया था कि जहां तक अनुसूचित जिलों और राज्य में रिक्तियों का संबंध है, केवल उन अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासी ही आवेदन करने के हकदार होंगे। विज्ञापन के कंडिका 5(i) के अनुसार, एक उम्मीदवार अपनी पसंद के केवल एक जिले में रिक्ति के खिलाफ आवेदन कर सकता है। इस स्तर पर, यह नोट किया जाना अपेक्षित है कि राज्य में तेरह अनुसूचित जिलों में रिक्तियों को भरने के लिए कुल मिलाकर 8423 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था, जबकि राज्य में शेष गैर-अनुसूचित जिलों के लिए 9149 पदों का विज्ञापन दिया गया था।

3.6. कई उम्मीदवारों ने पदों के लिए आवेदन किया और चयन प्रक्रिया से गुजरे। परिणाम प्रकाशित किए गए थे और राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई थी। गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवार, जिन्हें अनुसूचित जिलों में रिक्ति के लिए आवेदन करने से रोका गया था, ने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.07.2016 को जारी अधिसूचना और आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। इसके द्वारा संबंधित अनुसूचित जिलों के केवल स्थानीय निवासियों को ही जिला संवर्ग श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों पर 10 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया था। मूल रिट याचिकाकर्ताओं- गैर-अनुसूचित उम्मीदवारों से संबंधित उम्मीदवारों ने 2016 के विज्ञापन संख्या 21 को भी चुनौती दी, जैसा कि 2016 के विज्ञापन संख्या 21 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, विशेष रूप से, उक्त विज्ञापन के कंडिका 5(iii), जिसके द्वारा यह कहा गया था कि जहां तक राज्य के अनुसूचित जिलों में

रिक्तियों का संबंध है, केवल उन अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

3.7. दिनांक 21.2.2019 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि नोटिस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएं, जिसमें रिट याचिकाओं के संस्थानों के बारे में व्यापक प्रसार हो ताकि इच्छुक व्यक्ति रिट याचिकाओं में हस्तक्षेप कर सके। इस तरह के नोटिसों के अनुसरण में, कई वादकालीन आवेदन/हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई। इन मामलों में शामिल संवैधानिक महत्व के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 18.09.2019 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले को बड़ी पीठ द्वारा तय किए जाने के लिए संदर्भित किया। दिनांक 18.09.2019 के इसी आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.7.2016 के आगे कार्यान्वयन और संचालन पर रोक लगा दी, बशर्ते कि पहले से की गई नियुक्तियां, यदि कोई हों।

3.8 मूल रिट याचिकाकर्ताओं - गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवारों की ओर से यह मामला था कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई उपरोक्त अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(2) को भी लागू किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) पर भारी निर्भरता रखी गई थी। मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(i) में गैर-बाधा खंड की आड़ में, राज्यपाल संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और/या प्रभावित नहीं कर सकते हैं और 100% आरक्षण नहीं हो सकता है केवल एक विशेष क्षेत्र के निवासियों को जो सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के लिए उन्हें पात्र बनाता है। कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भारी भरोसा किया गया था। (2002) 6 एससीसी 562 में रिपोर्ट किया गया; ए.वी.एस. नरसिम्हा राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1969) 1 एससीसी 839 में रिपोर्ट किया गया; डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ और अन्य (1984) 3 एससीसी 654 में रिपोर्ट किया गया; राजेश कुमार गुप्ता व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2005) 5 एससीसी 172 में रिपोर्ट किया गया; उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम सुधीर कुमार बिश्वाल एवं अन्य 1994 में रिपोर्ट की गई सप्प (3) एससीसी 245 और इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1992 में अपने निवेदनों के समर्थन में यह रिपोर्ट दी थी कि स्थानीय निवासियों के

लिए 100% आरक्षण नहीं हो सकता है और स्थानीय निवासियों के लिए ऐसा 100% आरक्षण और/या निवास के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(3) से प्रभावित होगा। भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण करने वाली अधिसूचना की संवैधानिक वैधता पर, चेबरोलू लीला प्रसाद राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में (2021) 11 एससीसी 401 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के हालिया संवैधानिक पीठ के फैसले पर भारी भरोसा किया गया था।

4.0. दूसरी ओर, राज्य तथा अनुसूचित जिलों के सफल उम्मीदवारों की ओर से यह मामला था कि अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण करने वाली अधिसूचना भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के कार्यक्षेत्र, दायरे और शक्तियों के भीतर थी/है।

4.1. यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों से संबंधित स्थानीय निवासियों के उत्थान के लिए इस तरह के आरक्षण की अनुमति है। यह प्रस्तुत किया गया था कि पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों को घोषित करने का उद्देश्य और उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों का उत्थान और बेहतरी के लिए है। राज्य और अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों से संबंधित सफल उम्मीदवारों की ओर से यह भी तर्क दिया गया था कि पांचवीं अनुसूची के तहत विशेष शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं। गैर-बाधा खंड पर भारी निर्भरता रखी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची का कंडिका 5(i) "इस संविधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद" शब्दों से शुरू होता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना के तहत निदेश दे सकते हैं कि संसद का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा; अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियां विशेष शक्तियां हैं और इसलिए, ऐसी शक्तियां अनुच्छेद 16 और/या भारत के संविधान के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं।

5.0. आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा और के मामले में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय का पालन करते हुए। चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त अधिसूचना और उपर्युक्त विज्ञापन को अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण करने की सीमा तक असंवैधानिक और/या अधिकारातीत घोषित किया है। आक्षेपित निर्णय और आदेश से, उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि

अधिसूचना और आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(3) और 35(क) का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियां केवल संसद में निहित हैं, न कि राज्य विधानमंडल के पास। आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 28.12.2016 को प्रकाशित 2016 के विज्ञापन संख्या 21 के कंडिका 5(iii) को भी रद्द कर दिया है, जिसे दिनांक 4.2.2017 के विज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जिलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पदों के खिलाफ, केवल उन अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। परिणाम में, उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त विज्ञापन के अनुसरण में केवल उन्हीं जिलों के स्थानीय निवासियों से संबंधित अनुसूचित जिलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जिलों में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के सभी 8423 पदों को नए सिरे से विज्ञापित किया जाए और विधि के अनुसार नई चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वे सभी उम्मीदवार जो 2016 के विज्ञापन संख्या 21 के जवाब में आवेदन करने के पात्र थे, वे नई चयन प्रक्रिया में आवेदन करने के हकदार होंगे, भले ही उनकी उम्र के अनुसार किसी भी बाधा के बावजूद।

उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 18.09.2019 के अंतरिम आदेश द्वारा, गैर-अनुसूचित जिलों में चयन प्रक्रिया पर न्यायालय द्वारा कभी रोक नहीं लगाई गई थी और गैर-अनुसूचित जिलों में किसी भी पद पर नियुक्तियों के लिए कोई रोक नहीं थी। उच्च न्यायालय के अनुसार, आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा सभी रिट याचिकाओं को तदनुसार अनुमति दी गई है।

5.1. झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.07.2016 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16(2), 16(3) और 35(क-ज) के अनुरूप असंवैधानिक और अधिकारातीत घोषित करने वाले आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना और परिणामस्वरूप 28.12.2016 को प्रकाशित 2016 के विज्ञापन संख्या 21 के कंडिका 5(iii) को दिनांक 4.2.2017 के विज्ञापन द्वारा संशोधित रूप में रद्द करना। तेरह अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करना। केवल अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित चयनित उम्मीदवारों – अनुसूचित क्षेत्रों / जिलों के स्थानीय निवासियों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

6.0. डॉ. राजीव धवन, श्री विकास सिंह, श्री आर. वेंकटरमानी, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित सफल उम्मीदवारों की ओर से। हमने झारखण्ड राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्री कपिल सिब्बल और श्री सुनील कुमार को सुना है। हमने श्री रंजीत कुमार और श्री गोपाल शंकरनारायणन वरिष्ठ अधिवक्ता को जो प्रतिस्पर्धी उतरदाताओं की ओर से उपस्थित हैं सुना है – मूल याचिकाकर्ताओं – गैर-अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवार/जिलों के। हमने श्री अजीत कुमार सिन्हा, श्री कॉलिन गोंजाल्विस और श्री पल्लव शिशोदिया, अन्य संबंधित पक्षों/हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी सुना है।

7.0. श्री आर. वेंकटरमानी, उपस्थित होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों से संबंधित कुछ सफल उम्मीदवारों की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय ने पांचवीं अनुसूची के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के उद्देश्य और उद्देश्य और राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य और उद्देश्य की उचित रूप से सराहना और विचार नहीं किया है भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 के तहत।

7.1. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने भी उन कारणों की उचित रूप से सराहना और विचार नहीं किया है जिनके लिए अधिसूचना और आदेश दिनांक 14.07.2016 को राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया था।

7.2. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अधिसूचना और दिनांक 14.07.2016 के आदेश से पता चलता है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जिलों में निम्न मानव विकास सूचकांक, पिछड़ेपन, दूरस्थता, गरीबी की विशेषता है और वे असमान स्थलाकृति, जल संसाधनों की कमी, वन के कैनोपी औसत में नुकसान और अनियंत्रित तेजी से औद्योगिकीकरण के कारण राज्य में सामाजिक संकेतकों से औसतन कम हैं। कि उपर्युक्त आधारों और कारणों के कारण, अनुसूचित जिलों के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की जानी थी।

7.3. हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 29, 38 और 46 पर ले जाते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 पर भरोसा किया जा रहा है जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जिन पर संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू होती है, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रशासन को अल्पसंख्यकों और अनुसूचित

जाति के लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखना है, अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करना और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाना। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(झ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा जारी दिनांक 14.07.2016 की अधिसूचना/आदेश, जो अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा के लिए और उनके उत्थान के लिए जारी किया गया था, को उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत और/या असंवैधानिक नहीं ठहराया जाना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में राज्यपाल को प्रदत्त विशेष अधिकारों को छीनने का प्रभाव है, जो भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 के तहत प्रदत्त हैं।

7.4. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 (2) "केवल" धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और ये अभिव्यक्तियाँ "केवल" शब्द से पहले होती हैं और अभिव्यक्ति "या उनमें से कोई भी" होती है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर वेंकटरमानी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सफल उम्मीदवार अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित थे, हालांकि मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क था कि अनुच्छेद 16(2) और 16(3) में उल्लिखित आधार पर भेदभाव निषिद्ध है और यदि अनुच्छेद 29 के तहत कोई सुरक्षात्मक कार्रवाई की जानी आवश्यक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 46 के अनुसार अन्य कारकों के संयोजन में इनमें से किसी एक या अधिक आधारों पर यह निर्णय लिया जाता है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 16(2) लागू नहीं होगा, चाहे इसके परिणामस्वरूप नागरिकों के अन्य समूह के साथ कुछ भेदभाव हो।

7.5 याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर वेंकटरमानी ने आगे प्रस्तुत किया है कि राज्य के राज्यपाल भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 (i) के तहत अनुसूचित जिलों के निवासियों के पक्ष में आरक्षण करने वाली अधिसूचना जारी करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, ताकि सामाजिक न्याय आर्थिक और राजनैतिक आधार सुरक्षित किया जा सके अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों की पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रकार के कष्ट झेल रहे निवासियों के लिए। यह आग्रह किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत, राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का कोई उल्लंघन नहीं है। विद्वान

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर वेंकटरमणी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र को गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के साथ समान नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया जाता है कि विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जिलों के निवासियों के हितों की रक्षा करना आवश्यक पाया गया।

7.6. यह निवेदन किया जाता है कि अनुसूचित जिलों में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह बहुत लाभदायक होगा, यदि उन्हें बाहरी लोगों के बजाय स्थानीय शिक्षकों द्वारा अपनी जनजातीय भाषा में पढ़ाया जाता है, जो स्थानीय भाषा से अच्छी तरह परिचित नहीं हो सकते हैं। यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत आदेश प्रभावित नहीं हुए अवसर की समानता से किसी भी इनकार से और / इसके अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत आदेश केवल राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की महसूस की गई जरूरतों के संदर्भ में अवसर की समानता को वितरित करता है। इसलिए, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में किए जा रहे उचित प्रावधानों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि संविधान उचित आधार पर भेदभाव की अनुमति देता है।

7.7. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अनुच्छेद 16(3) का दायरा अंतर-राज्यीय सीमाओं तक ही सीमित है और इसका राज्य के भीतर के क्षेत्रों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। इस संदर्भ में, ए.वी.एस. नरसिम्हा राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जाता है (1970) 1 एससीआर 115 ।

7.8. यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्यपाल के पास पांचवीं अनुसूची के कंडिका 1 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के हितों में कोई भी उपाय लागू करने की शक्ति है। पांचवीं अनुसूची के कंडिका 1 और 2 के तहत शक्तियों के बीच किसी द्विभाजन का सुझाव नहीं दिया जा सकता है। कि वे राज्यपाल की पूर्ण शक्तियों के केवल अलग-अलग पहलू हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) और (2) के तहत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियां पूर्ण और अनन्य शक्तियां हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए राज्यपाल संसद द्वारा बनाए गए कानून पर भी रोक लगा सकता है और इसलिए उक्त शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रतिबंधों के अधीन नहीं हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर वेंकटरमानी ने आगे प्रस्तुत किया है की आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, जहां स्कूल स्थित हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में केवल अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में ऐसा कोई आरक्षण नहीं है। उन्होंने अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताओं

की ओर इशारा किया है कि के मामले में इस न्यायालय का निर्णय चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) वर्तमान मामलों पर लागू नहीं किया जाएगा।

सभी उम्मीदवार चाहे अनुसूचित या गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में हों, केवल जिले में आवेदन कर सकते हैं।

जिला स्तर पर केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं। कर्मचारियों के स्थानांतरण की फिटनेस के संदर्भ में, आमतौर पर इस न्यायालय ने देखा है कि श्रेणी III और श्रेणी IV के पद एक अलग पायदान पर हैं।

जिलों के भीतर सभी उम्मीदवार, चाहे एससी / एसटी / बीसी या ओबीसी, सामान्य आवेदन कर सकते हैं।

प्रावधान प्रयोगात्मक थे यानी केवल 10 वर्षों तक चलने के लिए। (सामाजिक-आर्थिक मामलों में विधायी प्रयोगों को न्यायिक सम्मान प्राप्त होगा।

7.9. इस न्यायालय के पूर्व के निर्णयों पर भरोसा किया गया - राम कृपाल भगत बनाम बिहार राज्य (1970) 3 एससीआर 233 और पूरनलाल लखनपाल बनाम भारत के राष्ट्रपति रिपोर्टेड एआईआर 1961 एससी 1519, अब यह प्रार्थना की जाती है कि इन निर्णयों पुनर्विचार की आवश्यकता है

7.10. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना, उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 से प्रभावित नहीं होती है और इस तरह के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के दायरे में नहीं आती है चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर)। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिसूचनाओं को अनुच्छेद 16 (3) और संविधान की पांचवीं अनुसूची दोनों में खोजा जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पांचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को संसद और राज्य विधायिका के बराबर रखा गया है, और इसके तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति पूर्ण विधायी शक्ति है, और किसी अन्य विधायी शक्ति के अधीनस्थ नहीं है। किसी अनुसूचित क्षेत्र में संसदीय

कानून लागू न करने की राज्यपाल की शक्ति उसे संविधान के अनुच्छेद 16(3) के तहत उपलब्ध संसद की शक्ति के बराबर रखेगी।

7.11. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि राज्यपाल क्या कर सकता है जो संसद संविधान के अनुच्छेद 16(3) के तहत कर सकती है और इस प्रकार अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूलों के हितों का ध्यान रखने के उपाय के रूप में निवास की आवश्यकता के संबंध में अधिनियमित कर सकती है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद है, इसलिए निवास की आवश्यकता के संबंध में कोई भी उचित प्रावधान बचाया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून संसद या राज्यपाल द्वारा बनाया जाता है। संसदीय कानून लागू नहीं करने की राज्यपाल की शक्ति में वह करने की शक्ति शामिल है जो संसद अन्यथा कर सकती है।

7.12. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यह अधिसूचनाओं को राज्य द्वारा बनाए गए नियमों के संशोधन उपकरणों के रूप में नहीं मानने के लिए खुला है। शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 309 के तहत झारखंड सरकार ने एक अभ्यावेदन प्राप्त किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि के मामले में चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) उसमें उठाए गए प्रश्न 2(ख) का उत्तर देते हुए यह राय दी गई थी कि चूंकि अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम संसदीय या राज्य कानून नहीं हैं, इसलिए उन्हें पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है।

7.13. आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पांचवीं अनुसूची एक संविधान है, संविधान के भीतर, (देखें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 4 एससीसी 225 जो बताता है कि अनुसूचित क्षेत्रों का सर्वोपरि हित और उनका विकास उन तरीकों से होगा जो क्षेत्रों के अनुकूल होंगे (उदाहरण के लिए भूमि, वन, खनिज संपदा, आदि और शोषण के खिलाफ सुनिश्चित करने की आवश्यकता) हमेशा राज्यपाल को पांचवीं अनुसूची के तहत शक्तियां।

7.14. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि नियुक्ति से संबंधित नियम स्वयं यह प्रावधान करते हैं कि कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक जिलों में पदों पर आवेदन नहीं कर सकता है, और यह कि कैडर जिला स्तर के हैं और राज्य स्तर के कैडर नहीं हैं। अधिसूचना सभी अनुसूचित क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में केवल एक जिला आवेदन के समान प्रतिबंध को बढ़ाती है। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले पात्र अभ्यथयों के बीच कोई पारस्परिक भेदभाव नहीं है। अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के सभी सिद्धांत भी लागू हैं।

7.15. यह प्रस्तुत किया गया है कि इस अदालत ने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार तक पहुंच के संबंध में अधिवास को अनुचित सिद्धांत के रूप में बचाया है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 371 घ में अधिनियमित सुरक्षोपाय एक निकटवर्ती उदाहरण हैं।

7.16. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित अधिसूचनाएं भेदभावपूर्ण नहीं हैं। वे अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूलों में नियुक्ति के लिए प्रासंगिक कारक के रूप में केवल निवास स्थान को ही नहीं देखते हैं। वे निवास को अन्य कारकों में से एक के रूप में मानते हैं, अर्थात् अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूलों के हितों को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका एक प्रमुख या प्रमुख पहलू के रूप में। अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूलों के हितों और सभी जिलों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार के संतुलन में, यदि अनुसूचित जिले के भीतर निवास का कारक स्कूलों के हित के पक्ष में होगा, तो अनुच्छेद 16(2) में गैर-भेदभाव पर जोर 'केवल' निवास के आधार पर अनुच्छेद 16(3) के अधीन होगा।

7.17. यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16(2) धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास के "केवल" आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, और ये अभिव्यक्ति "केवल" शब्द से पहले होती है और अभिव्यक्ति "या उनमें से कोई भी" होती है, जो महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान मामले में, निम्न मानव विकास सूचकांकों, पिछड़ेपन, दूरस्थता, गरीबी, असमान स्थलाकृति, जल संसाधनों की कमी, वन के कैनोपी औसत में हानि और अनियंत्रित तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण राज्य में सामाजिक संकेतकों में हीनता के संचयी कारकों को ध्यान में रखा गया है।

7.18. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य के राज्यपाल भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) के तहत अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों की पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रकार से पीड़ित निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने के लिए अनुसूचित जिलों के निवासियों के पक्ष में आरक्षण देने वाली अधिसूचना जारी करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं।

7.19. विकल्प में, यह प्रार्थना की जाती है कि भले ही उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित अधिसूचना/आदेश को असंवैधानिक और/या अधिकारातीत माना जाता है, उस मामले में, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) अनुसूचित क्षेत्रों में पहले से की गई नियुक्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करके भी बचाया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि कई मामलों में वे उम्मीदवार जिन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है, या तो गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे या

गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी थीं क्योंकि उन्हें अपने जिलों में नियुक्ति मिल रही थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इक्विटी भी उनके पक्ष में हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यहां तक कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति में भी बाधा नहीं डाली जा सकती है जब झारखंड राज्य में बड़ी संख्या में पद अभी भी खाली पड़े हैं और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत, क्षेत्र के निवासियों को शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं और आगे राज्य का यह कर्तव्य है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए उपाय करेगा।

7.20. यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) के मामले में निर्णय को संकीर्ण रूप से लागू करके पहले से की गई नियुक्तियों की रक्षा नहीं करके गलती की है। खुली प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष अवसर के अनुसरण में सार्वजनिक सेवाओं में की गई नियुक्तियों की रक्षा के लिए कारकों में से एक, भले ही किसी अन्य कानूनी कारक के कारण, यह होगा कि क्या नियुक्तियां उम्मीदवारी की धोखाधड़ी या लाभ से दूषित हैं, और क्या नियुक्तियां विभिन्न मामलों में हार जाएंगी। यह रिकॉर्ड की बात है कि बड़ी संख्या में नियुक्ति लोग अपनी पिछली नौकरियां छोड़ चुके हैं। चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) के मामले में, हाल ही में 2020 में नियुक्त व्यक्तियों के हितों को संरक्षित किया गया है। डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 362 निर्णय पर भी भरोसा किया गया है जो पहले से की गई नियुक्तियों के लिए न्यायालय द्वारा दी गई सुरक्षा के लिए।

8.0. डॉ. राजीव धवन, कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता – अनुसूचित जाति जिलों/क्षेत्रों के उम्मीदवारों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 16(2) के तहत केवल "केवल" शब्द के उपयोग पर विस्तृत रूप से निवेदन किया है।

8.1. यह डॉ. राजीव धवन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो कुछ याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो शब्द का उपयोग करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 16(2) में केवल "केवल" सुझाव देगा कि किसी भी निषिद्ध वर्गीकरण "जाति सहित" को वर्गीकरण के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है जब तक कि कुछ व्यापक संवैधानिक या सार्वजनिक उद्देश्य न हो और वर्गीकरण का उस उद्देश्य से कोई संबंध न हो और वह उस उद्देश्य को पूरा करता हो। के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है? कैलाश चंद्र शर्मा (ऊपर) (कंडिका 14) अनुच्छेद 16(2) में निषेधों पर। उक्त निर्णय में यह देखा गया है कि अनुच्छेद 16(2) के तहत निषेधात्मक जनादेश

आकर्षित नहीं होता है यदि कथित भेदभाव न केवल निवास से संबंधित है, बल्कि निवास के तथ्य को अन्य प्रासंगिक कारकों के अलावा केवल ध्यान में रखा जाता है।

8.2. पी. राजेंद्रन बनाम मद्रास राज्य (1968) 2 एससीआर 786 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में कहा गया है, यदि विचाराधीन आरक्षण केवल जाति पर आधारित था और इसमें जाति के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को ध्यान में नहीं रखा गया था, तो यह अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन होगा, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि एक जाति नागरिकों के एक वर्ग को भी संदर्भित कर सकती है और यदि जाति समग्र रूप से सामाजिक है और शैक्षिक रूप से पिछड़े, ऐसी जाति के पक्ष में इस आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है कि ऐसी जाति अनुच्छेद 15 (4) के अर्थ के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है।

8.3. डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी एन. वसुंधरा बनाम मैसूर राज्य में रिपोर्टेड (1971) 2 एससीसी 22 और जयश्री बनाम केरल राज्य में रिपोर्टेड (1976) 3 एससीसी 730 के मामले में अपने इस निवेदन के समर्थन में कि अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय निवासियों के उत्थान के लिए, राज्यपाल पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद और/या राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी अधिनियम पर रोक लगा सकता है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) और 16(3) के तहत व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

9.0. श्री विकास सिंह, कुछ मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पहले से ही नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाओं की रक्षा के लिए राहत को ढालने के लिए प्रार्थना के समर्थन में आगे प्रस्तुत किया है क्योंकि उन्होंने चयन की एक निष्पक्ष प्रक्रिया में भाग लिया था जिसमें कोई कदाचार शामिल नहीं था। यह निवेदन किया जाता है कि आज भी अनुसूचित जिलों में 4000 से अधिक पद उपलब्ध हैं जो रिक्त पडे हैं। उनकी उपरोक्त प्रार्थना के समर्थन में, यह आग्रह किया जाता है कि इस न्यायालय ने चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) के मामले में पहले से की गई नियुक्तियों को बचाया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कम से कम 50% सीटें केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई थीं, जिसे इस न्यायालय ने रद्द कर दिया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में भी उक्त टिप्पणियों को लागू करते हुए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

झारखंड राज्य में की गई नियुक्तियों की रक्षा कर सकता है क्योंकि कुल विज्ञापित रिक्तियों में से लगभग 50% नियुक्तियां अब तक की गई हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि पहले से की गई नियुक्तियों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश के अनुसार रद्द कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में, स्कूल जाने वाले लाखों बच्चे शिक्षकों के बिना होंगे जो शिक्षा के अधिकार के संवैधानिक जनादेश के विपरीत होगा जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत प्रदान किया गया है।

9.1. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 219 प्रतिवादी / हस्तक्षेप करने वालों के मुकाबले हजारों निर्दोष याचिकाकर्ता/शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। यह सर्वोपरि जनहित की मांग है कि पहले से की गई नियुक्तियों में व्यवधान न हो और आक्षेपित निर्णय केवल भावी रूप से लागू किया जाए।

9.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह मूल याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया, अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासियों के पक्ष में किए गए आरक्षण के बारे में पूरी तरह से जानते हुए और उसके बाद चयन प्रक्रिया में भाग लेने और चयनित होने में विफल होने के बाद, वे अब मुड़ नहीं सकते हैं और विज्ञापन में निर्धारित शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते हैं।

9.3. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यह सच नहीं है कि कम मेधावी उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई थी और मेधावी उम्मीदवारों के अधिकारों में बाधा उत्पन्न हुई है। तथ्य की बात के रूप में, सभी प्रत्येक विषय में यहां अधिकांश अपीलकर्ता बहुत अधिक मेधावी थे। गैर-अनुसूचित जिलों के अंतिम चयनित/गैर-चयनित/कम मेधावी उम्मीदवारों की तुलना में गैर-अनुसूचित जिलों के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक है।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि राहत को ढाला जाए और आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को लागू करने का निर्देश दिया जाए उच्च न्यायालय भावी और /या कम से कम नियुक्तियों को पहले से ही बचाने के लिए।

10.0. पहले से की गई नियुक्तियों को बचाने और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को लागू करने का निर्देश देने के लिए इसी तरह की प्रार्थना श्री पीएस पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई है, जो पहले से नियुक्त कुछ अपीलकर्ताओं/एफ शिक्षकों की ओर से पेश हुए हैं।

विकल्प में, यह प्रार्थना की जाती है कि केवल उन रिट याचिकाकर्ताओं अर्थात् लगभग 219 उम्मीदवारों को उन जिलों का विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकता है जहां वे नियुक्त होना चाहते हैं, जो रिक्त पदों के लिए उनकी योग्यता के संदर्भ में किया जाएगा और शेष रिक्त पदों के संबंध में, राज्य कानून के अनुसार एक नया विज्ञापन जारी कर सकता है, उम्मीदवार को आयु में छूट के साथ जो पहले से ही 2016 के चयन में भाग ले चुके थे। उनके उपरोक्त सबमिशन के समर्थन में, के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है हनुमान दत्त शुक्ल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में रिपोर्टेड (2018) 16 एससीसी 447 .

10.1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पटवालिया ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश की आलोचना करते हुए और राज्यपाल/राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के स्थानीय निवासियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाली अधिसूचना/आदेशों की संवैधानिक वैधता पर गुण-दोष के आधार पर अन्य वकील की ओर से प्रस्तुत की गई बातों को भी दोहराया है।

11.0. सुश्री विभा दत्ता मखीजा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यहां कुछ अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुईं – पहले से नियुक्त उम्मीदवारों ने पहले से नियुक्त उम्मीदवारों के पक्ष में राहत को ढालने के लिए अपनी प्रार्थना के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं।

1. कि नियुक्तियां चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से पहले की गई थीं। इस प्रकार, यहां याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के समय, झारखंड राज्य में कानून स्पष्ट नहीं था और प्रवाह की स्थिति में था;

2. यहां तक कि इस न्यायालय ने भी चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) नियुक्तियों को सहेजा है;

3. सभी नियुक्त उम्मीदवारों- याचिकाकर्ताओं को चयन की एक निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे सभी मेधावी उम्मीदवार हैं;

4. याचिकाकर्ताओं को सेवा से हटाए जाने की स्थिति में स्कूल शिक्षकों के बिना होंगे। 2020 की एसएलपी (सी) संख्या 12490 में लगभग 1108 स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे और इसलिए, यह विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। कि अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों को भी शिक्षा का अधिकार है जो भारत के संविधान के तहत प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है। इसलिए, यदि याचिकाकर्ताओं और अन्य पहले से ही नियुक्त शिक्षकों को हटा

दिया जाता है, तो उस स्थिति में, स्कूल शिक्षकों के बिना होंगे और इसलिए, यह झारखंड राज्य में शिक्षा को प्रभावित / बाधित कर सकता है।

11.1. सुश्री मखीजा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी इस मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर), कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में रिपोर्टेड (2002) 6 एससीसी 562 , के माधव रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में रिपोर्टेड (2014) 6 एससीसी 537, आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य में रिपोर्टेड (1995) 2 एससीसी 745 और बाबूराम बनाम सीसी जैकब में रिपोर्टेड (1999) 3 एससीसी 362 , उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को केवल भावी रूप से लागू करने का निर्देश देने के लिए उसकी प्रार्थना के समर्थन में।

12. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश की आलोचना करते हुए श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री सुनील कुमार ने जोरदार निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने राज्यपाल/राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश और अनुसूचित क्षेत्र/जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले विज्ञापन को असंवैधानिक और अधिकारातीत अनुच्छेद 14 घोषित करके गंभीर त्रुटि की है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 35 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 35 के तहत एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

12.1. राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि मूल याचिकाकर्ताओं के तर्क में एक बुनियादी भ्रांति है कि आक्षेपित अधिसूचना जिले को वर्गीकरण का आधार बनाती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह का वर्गीकरण संविधान द्वारा ही किया गया है और इसका आधार "अनुसूचित क्षेत्र" है जैसा कि अनुच्छेद 244 द/ब भारत के संविधान की अनुसूची पांचवें के तहत चिंतन किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत संघ का गठन करने वाले विभिन्न राज्यों के भीतर अधिकांशत जनजातीय जनसंख्या शामिल है जिसे भारत का संविधान अपने शासन के मामले में विशेष मानता है। कि राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, कंडिका 6 भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची का प्रस्ताव। पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 के उप कंडिका 2 के अधीन राष्ट्रपति निदेश दे सकते हैं कि किसी अनुसूचित क्षेत्र का संपूर्ण या कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा या राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र में वृद्धि भी नहीं करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति एक पूरे जिले को एक के रूप में घोषित कर सकता है अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जिले का

एक हिस्सा या यहां तक कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में दो जिलों का संयोजन। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों की जनसांख्यिकी पर विचार करने पर, भारत के राष्ट्रपति ने 13 जिलों में शामिल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए एक राय बनाई और अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 बनाया। समय बीतने के साथ राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि 13 जिलों में से किसी का कोई भी हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र नहीं रह सकता है या दो जिलों के हिस्सों को मिलाकर किसी भी घोषित अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र में वृद्धि भी कर सकता है। इसलिए आक्षेपित अधिसूचना और आदेश जिले को वर्गीकरण का आधार बनाता है। यह निवेदन किया जाता है कि इन मामलों में अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 को कोई चुनौती नहीं दी गई है।

12.2. जहां तक मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह विवाद है कि अधिसूचना और आदेश अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों को संशोधित करने के लिए आक्षेपित है, जो न तो संसद का अधिनियम है और न ही राज्य विधानमंडल का अधिनियम, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह की आक्षेपित अधिसूचना यह कहते हुए एक अपवाद बनाती है कि "इन नियमों या किसी अन्य अधिनियम में निहित कुछ भी होने के बावजूद, आदेश, निर्देश, नियम या कानून तत्समय प्रवृत्त होने के लिए" और इसलिए इसमें एक मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की तरह संसद का अधिनियम, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 - क के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था और प्रारंभिक स्कूलों पर लागू है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त 2009 अधिनियम की धारा 23 प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता का प्रावधान करती है। इसलिए आक्षेपित अधिसूचना को संसद के एक अधिनियम यानी उक्त 2009 अधिनियम की धारा 23 के अपवाद/संशोधन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और इसके साथ गलती नहीं की जा सकती है।

12.3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित अधिसूचना और उसके साथ संलग्न नियम, जिन्हें छोड़कर/संशोधित किया जा रहा है, दोनों को "राज्यपाल के आदेश" द्वारा किए गए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(2) के तहत निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया गया है। यह कि आक्षेपित अधिसूचना जारी करने की शक्ति के स्रोत का पता अनुसूची 5 के कंडिका 5(1) के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक से भी लगाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि "संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित" का उल्लेख करने का लोप 'पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 के उप-कंडिका (1) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के बाद ..." (घ) आक्षेपित अधिसूचना में भारत के

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन प्रभावित/अमान्य नहीं होगा। भारत संघ और एन.आर. बनाम तुलसीराम पटेल में रिपोर्टेड (1985) 3 एससीसी 398 (कंडिका 126) के मामले में यह देखा गया है कि शक्ति का स्रोत दो प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से मौजूद है, चाहे वह वैधानिक हो या संवैधानिक और आदेश उनमें से केवल एक को संदर्भित करता है लेकिन आदेश की वैधता को दोनों प्रावधानों के तहत पारित आदेश के रूप में जोड़कर बरकरार रखा जाना चाहिए।

12.4 अब जहां तक मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि क्या आक्षेपित अधिसूचना/आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है, यह जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित अधिसूचना और आदेश "केवल" निवास के आधार पर नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामाजिक संकेतक राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होने के साथ-साथ आक्षेपित अधिसूचना/आदेश में उल्लिखित अन्य कारक भी हैं जो इंगित करते हैं कि उनमें रहने वाले लोग गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समान नहीं हैं, अवसर की कोई समानता नहीं है। इसलिए, राज्य पर यह कर्तव्य डाला जाता है कि वह आय में असमानताओं को कम करे और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि उनके बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को समाप्त करने का प्रयास करे विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अथवा विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों का समूह। यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 39-क, 43 और 46 भाग IV में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत इस मामले में लागू होंगे। यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश ट्राइबल सलाहकार परिषद की रिपोर्ट को नोटिस करने के बाद दिनांक 14.07.2016 को आदेश नंबर 5939 जारी किया गया था और अनुसूचित क्षेत्रों तथा गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के बीच असमानता के विभिन्न कारकों के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने थे। कैलाश चंद शर्मा (ऊपर) (कंडिका 48) के मामले में यह देखा गया है कि "असमान लोगों को उनकी बाधाओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए समान करना संविधान के तहत अनुमेय नहीं है। बशर्ते कि यह समग्र समानता को बढ़ावा देने के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है "। यह आग्रह किया जाता है कि वर्तमान मामले में यह उम्मीद की गई थी कि दस साल की अवधि के लिए आक्षेपित अधिसूचना और आदेश द्वारा बनाए गए नियमों की अभिव्यक्ति/संशोधन द्वारा समग्र समानता प्राप्त की जाएगी। इसलिए, इस प्रकार, आक्षेपित अधिसूचना और आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

12.5. अब जहां तक मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, यह विद्वान द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है। राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कि इस तरह के तर्क पर आधारित है की अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भ्रामक है। यह तर्क दिया गया है कि जबकि अनुच्छेद 14 गारंटी देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, पांचवीं अनुसूची का कंडिका 5(1) तथापि वह खंड जो राज्यपाल को यह निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है कि कोई केंद्रीय कानून या राज्य कानून किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके हिस्से पर लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों या संशोधनों के साथ लागू हो सकता है जैसा कि वह निर्देशित कर सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित अधिसूचना/आदेश अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, तो उस स्थिति में, यह दो संवैधानिक प्रावधानों के बीच एक स्पष्ट संघर्ष को जन्म देगा, अर्थात अनुच्छेद 14 और पांचवीं अनुसूची का कंडिका 5(1)। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस संघर्ष को केवल सामंजस्यपूर्ण निर्माण के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत का पालन करके हल किया जा सकता है कि विशेष कानून सामान्य पर प्रबल होगा। जे.के. स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड और जेके स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में रिपोर्टेड एआईआर 1961 एससी 1170 (कंडिका 9) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है - जे.के. स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड और जेके स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में रिपोर्टेड एआईआर 1961 एससी 1170 (कंडिका 9)। यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और उनमें रहने वाले आदिवासियों के शासन और विकास के लिए उक्त प्रावधान अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के सामान्य प्रावधानों के अधीन कभी नहीं होंगे।

12.6. विकल्प के रूप में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की जाती है कि वे पहले से की गई नियुक्तियों में व्यवधान न डालें और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू करें ताकि यह अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों की शिक्षा को प्रभावित न करे। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को लागू किया जाता है और पहले से की गई नियुक्तियों को भी उच्च न्यायालय द्वारा देखे गए और किए गए अनुसार अलग रखा जाता है, तो उस स्थिति में, शिक्षकों को राहत देनी होगी और अनुसूचित क्षेत्रों में कई स्कूल शिक्षकों के बिना होंगे और यह अंततः राज्य में शिक्षा को

बाधित कर सकता है और जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत गारंटीकृत अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

13. वर्तमान अपीलों का श्री रंजीत कुमार और श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा जोरदार विरोध किया जाता है, जो प्रतिस्पर्धी उतरदाताओं की ओर से उपस्थित हैं सुना है – मूल याचिकाकर्ताओं – गैर-अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवार/जिलों के।

13.1. सोनी कुमारी की ओर से 2022 की सिविल अपील संख्या 4044 में उपस्थित मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने प्रस्तुत किया है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं (उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की रिट याचिका संख्या 1387) ने राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.07.2016 को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत झारखंड के तेरह अनुसूचित जिलों (कुल 24 जिलों में से) में केवल तेरह के स्थानीय निवासी अनुसूचित जिलों को 10 वर्ष की अवधि के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया तथा दिनांक 28.12.2016 को यथा संशोधित दिनांक 28.12.2016 के विज्ञापन तथा खंड 5 (iii) में केवल अधिसूचित/अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासी/अधिवास को उक्त जिलों के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित अधिसूचना/आदेश और विज्ञापन के कारण वह आवेदन जमा करने के लिए विवश थी जिला पलामू के लिए आवेदन फॉर्म - एक गैर-अनुसूचित जिला, हालांकि उसकी शादी के बाद वह एक अनुसूचित जिले रांची में रह रही है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उसने अनुसूचित जिलों में अपनी श्रेणी और विषय में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए थे और फिर भी उसका चयन नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में आक्षेपित अधिसूचना/आदेश को चुनौती और उन्नति की सराहना की जानी चाहिए।

13.2. यह श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में विचार के लिए जो मुद्दे उठते हैं, वे हैं:

1. क्या राज्यपाल की शक्ति भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची का अनुच्छेद 5 एक पूर्ण शक्ति अथवा समर्थकारी शक्ति है जिसे संविधान के भाग-III के अंतर्गत प्रत्याभूत मूल विशेषताओं/मूलभूत सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए?

2. क्या राज्यपाल को निर्धारित करने की शक्ति के साथ निहित है पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) के तहत निवास के आधार पर (अनुसूचित जिलों में अधिवास के लिए 100% आरक्षण निर्दिष्ट करना ।

3. सरकारी आदेश संख्या 5938 और 5939 दिनांक 14.07.2016 जिससे झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में केवल स्थानीय उक्त जिलों के निवासियों को संविधान के अनुच्छेद 14, 16(2) एवं (3) और 35 (क-झ) के अधिकारातीत 10 वर्ष की अवधि के लिए श्रेणी III और IV पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र घोषित किया गया था?

13.3. मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ के समर्थन में आदेश और अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को केवल अनुसूचित क्षेत्र में पद के लिए आवेदन करने के लिए प्रतिबंधित करने वाला विज्ञापन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिकारातीत हैं और यह भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत गैर-अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवारों को प्रभावित करता है, निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की जाती हैं:

1. संविधान की पांचवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244 (1) के तहत राज्यपाल के पास निहित शक्ति एक पूर्ण शक्ति नहीं है, बल्कि उसमें निर्दिष्ट उद्देश्य यानी "अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन" को पूरा करने के लिए एक सक्षम शक्ति है। पांचवीं अनुसूची का कंडिका 5(1) इसका एक पहलू है इस सक्षम शक्ति का राज्यपाल के पास निहित है। इस कंडिका के संदर्भ में, वह यह निर्धारित कर सकता है कि कौन सी संसद या राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होगा, इस प्रकार निर्दिष्ट कानूनों के अपवाद/संशोधन निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे कानून की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता भी निर्धारित कर सकता है;

2. पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) के तहत राज्यपाल की शक्ति अधीनस्थ कानून तक विस्तारित नहीं है; यह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा संप्रभु कार्य में अधिनियमित एक अधिनियम के संबंध में है जिसे केवल निपटाया जा सकता है;

3. पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 में नॉन ऑब्सटेन्टे क्लॉज को संशोधन शक्ति की सीमाओं के बाहर प्रावधान को हटाने के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और बुनियादी विशेषताओं के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए;

4.संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) के तहत राज्यपाल की शक्ति कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, जिन्हें कानून बनाते समय संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पालन किया जाना चाहिए और संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा;

उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) (कंडिका 102-104, 154(1)(ग)) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भारी निर्भरता रखी गई है।

13.4. श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि स्थानीय निवास अपने आप में राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए किसी भी अधिमान्य उपचार को प्रदान करने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि यह विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 16(1) और (2) द्वारा वर्जित है। अदालत द्वारा इस मामले पर निर्भरता तय की जाती है - उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम सुधीर कुमार बिश्वाल और अन्य 1994 में रिपोर्ट की गई सप्प (3) एससीसी 245 कंडिका 6 और 8।

13.5. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 16(3) के साथ पठित अनुच्छेद 35 (क-झ) के आलोक में राज्य के भीतर निवास के रूप में किसी भी आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए विषय वस्तु क्षेत्राधिकार का अभाव है, जो अनिवार्य करता है कि रोजगार के लिए आवासीय योग्यता बनाने की शक्ति विशेष रूप से संसद को प्रदान की जाती है, न कि राज्य विधानमंडल को, जो, आवश्यक परिणाम द्वारा, राज्य कार्यपालिका (राज्यपाल) को बाहर कर देगा जिसकी शक्ति राज्य विधानमंडल के साथ सह-टर्मिनस है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अकेले संसद को रोजगार के वर्ग या वर्गों के संबंध में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवासीय आवश्यकता को निर्धारित करने वाला कानून बनाने का अधिकार है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, संसदीय कानून की अनुपस्थिति में, राज्य के भीतर निवास के रूप में आवश्यकता का निर्धारण भी असंभव है। समर्थन में,उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण में, के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया जाता है - एवीएस नरसिम्हा राव और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य में रिपोर्टेड (1969) 1 एससीसी 839 , कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में रिपोर्टेड (2002) 6 एससीसी 562 (कंडिका 13-14) और राजेश कुमार गुप्ता व अन्य उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2005) 5 एससीसी 172 (कंडिका 16 और ख 17)।

13.6. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि झारखंड राज्य में तेरह अनुसूचित जिलों में 100% आरक्षण लागू करने के लिए अन्यथा आक्षेपित आदेश/अधिसूचना भी मांगी गई थी,

जिसके तहत उक्त जिलों के केवल स्थानीय निवासियों को श्रेणी III और श्रेणी III में नियुक्ति के लिए पात्र घोषित किया गया था और 10 वर्ष की अवधि के लिए डी IV पद, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत हैं इंद्र साहनी (ऊपर) (कंडिका 788) के साथ-साथ इस मामले में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के हालिया निर्णय चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) (कंडिका 104) जिसमें यह माना गया है कि आरक्षण की बाहरी सीमा खंड भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 सामान्य रूप से 50% की ई सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

13.7. अब तक अधिवास या निवास के आधार पर आरक्षण या वरीयता निर्धारित करने वाली "मिट्टी के पुत्रों" नीति को लागू करने में राज्य द्वारा औचित्य का संबंध है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले ही डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघ में रिपोर्टेड (1984) 3 एससीसी 654 (कंडिका 5) के अनुसार, यह है कि उक्त निर्णय में यह देखा गया है और माना गया है कि अकेले संसद को निवास के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध के लिए एक अपवाद बनाने का अधिकार दिया गया है। दिनांक 14.07.2016 की आक्षेपित सरकारी अधिसूचनाएं संख्या 5938 और 5939 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि यह किसी भी बोधगम्य अंतर पर आधारित नहीं है और इसका उद्देश्य और उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है, अर्थात राज्य सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे सक्षम शिक्षकों का चयन और शैक्षिक स्तर में सुधार राज्य के भीतर निवासियों की। यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुसूचित जिलों के रूप में अधिसूचित कई जिले जैसे पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) और रांची झारखंड में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के शीर्ष आधे हिस्से में हैं, जबकि याचिकाकर्ता के जिले पलामू में राज्य में सबसे कम एचडीआई है, फिर भी इसे गैर-अनुसूचित जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अनुसूचित और गैर-अनुसूचित जिलों के निर्धारण में राज्य द्वारा अपनाई गई मनमानी की बू आती है।

13.8. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों की ओर से पेश कुछ विद्वान वकील द्वारा उठाया गया विवाद भी कि आक्षेपित अधिसूचना/आदेश इस आधार पर आधारित थे कि संबंधित जिले में बोली जाने वाली स्थानीय जनजातीय भाषा जानने वाले उम्मीदवार छात्रों को पढ़ाने की बेहतर स्थिति में होंगे, बिल्कुल भ्रामक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह के विवाद को इस न्यायालय द्वारा के मामले में अनुमोदित और/या स्वीकार नहीं किया गया है चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर)। इसके अलावा भी माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के चयन के लिए टीजीटी भर्ती प्रक्रिया अभिनिर्धारित की जाती है। यह

प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार स्थानीय जनजातीय भाषा विषय को छोड़कर, अन्य सभी विषय (अर्थात अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन) जो प्रकृति में सामान्य हैं, उन्हें सबसे मेधावी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, एक घटिया शिक्षक के विपरीत जिसका योगदान शिक्षाविदों में नगण्य है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि हिंदी झारखंड में आधिकारिक भाषा है और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बातचीत का सामान्य माध्यम भी है क्योंकि राज्य में 21 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए, यह कोई कारण नहीं है कि जो व्यक्ति राज्य में बोली जाने वाली सभी 21 क्षेत्रीय भाषाओं को नहीं जानते हैं, वे उन क्षेत्रों में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ होंगे। यह प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदी (देवनागरी लिपि) में अच्छी तरह से वाकिफ है, वह बिना किसी बाधा के राज्य के सभी जिलों में छात्रों को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है।

13.9. श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि एक बार आक्षेपित अधिसूचना/आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 35 के लिए असंवैधानिक और अधिकारातीत माना जाता है, उस मामले में, मूल रिट याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई भी नियुक्ति और ऐसे असंवैधानिक प्रावधानों के अनुसार की गई नियुक्ति, उसी को अलग रखना होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उनके उपरोक्त प्रस्तुति के समर्थन में, हाल के निर्णयों पर भरोसा किया जाता है:

1. अनुपाल सिंह बनाम यूपी राज्य में रिपोर्टेड (2020) 2 एससीसी 173 ।

2. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम आनंद कुमार यादव और अन्य में रिपोर्टेड (2018) 13 एससीसी 560 ।

3. रेणु बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश में रिपोर्टेड (2014) 15 एससीसी 731 ।

4. म.प्र. राज्य बनाम धरम बीर में रिपोर्टेड (1998) 6 एससीसी 165 ।

5. सैयद खालिद रिजवी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में रिपोर्टेड 1993 अनुपूरक (3) एससीसी 575 ।

6. सूरजप्रकाश गुप्ता एवं अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य के मामले में रिपोर्टेड(2000) 7 एससीसी 561 ।

7. आरएस गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में रिपोर्टेड (2006) 6 एससीसी 430 ।

8. सचिव, कर्णाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य रिपोर्टेड (2006) ।

13.10 यह आगे संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है – गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवारों ने भी अनुरोध किया है। सरकार ने संबंधित श्रेणियों के प्रति प्रत्येक टीजीटी विषय में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई पहले से प्रकाशित कट ऑफ के आधार पर संशोधित मेरिट सूची तैयार करने का निदेश देकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत राहत को ढालने के लिए एक राष्ट्रीय पात्रता याचिका (एन.वी.एल.) की सिफारिश की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आवश्यक होगा कि कोई ताजा या डे नोवो विज्ञापित के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है एक ओर पदों पर, जबकि दूसरी ओर मूल रिट याचिका सहित वर्तमान पूल के उम्मीदवारों – सोनी कुमार और 218 समान रूप से स्थित उम्मीदवारों के साथ-साथ वर्तमान चयनित उम्मीदवारों को भी टीजीटी शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने का अवसर मिलेगा। राजेश कुमार बनाम बिहार राज्य में रिपोर्टेड (2013) 4 एससीसी 690 और रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में रिपोर्टेड (2018) 2 एससीसी 357 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है - उनके अनुरोध और प्रार्थना के समर्थन में प्रार्थना के अनुसार राहत को ढालने के लिए।

14. श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश के समर्थन में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं।

15. झारखंड राज्य में भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 6 के उपकंडिका (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 जिलों को अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था। कि राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शर्तें/अर्हताएं निर्धारित करते हुए भर्ती नियम, 2015 बनाए हैं। उक्त नियम अनुच्छेद 309 भारत का संविधान कि दिनांक 18.04.2016 के परिपत्र के माध्यम से और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, राज्य सरकार ने "झारखंड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा निर्धारित की है। उक्त परिपत्र के अनुसार, झारखंड के स्थानीय निवासी को भारतीय नागरिक माना जाएगा जो निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक शर्त को पूरा कर रहे हैं: -

"(i) वह झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर रह रहा होगा और या तो उसका अपना नाम या उसके पूर्वज का नाम सर्वे खाता में दर्ज होगा। भूमिहीनों के मामलों में, उनकी

पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी जो झारखंड राज्य में प्रचलित भाषा, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होगी।

(ii) पिछले 30 वर्षों या उससे अधिक समय से किसी व्यापार, रोजगार और अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर रह रहा हो और उसने अचल संपत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो और झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की हो।

(iii) झारखंड राज्य सरकार के तहत नियुक्त और कार्यकारी अधिकारी / कर्मचारी राज्य सरकार, निगम आदि द्वारा चलाए जा रहे / मान्यता प्राप्त संस्थानों को नियुक्त किया गया होगा या पत्नी/पति/बच्चा है और झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

(iv) सरकार के अधिकारी/कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हों अथवा जिनकी पत्नी/पति/बच्चा हो और झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हों।

(v) झारखंड राज्य में किसी भी संवैधानिक या वैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या पत्नी / पति / बच्चा है और झारखंड राज्य में रहने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

(vi) ऐसा व्यक्ति जिसने झारखंड राज्य में जन्म लिया होगा और अपनी पूरी शिक्षा मेट्रिक तक पूरी की होगी झारखंड राज्य में स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थानों से या इसके समकक्ष स्तर और झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करें।

16. इसके बाद, झारखंड के राज्यपाल/राज्य सरकार ने पांचवीं अनुसूची के कंडिका 2(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान ने दिनांक 14.07.2016 को आदेश/अधिसूचना जारी की है, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करते हुए कि किसी नियुक्ति/भर्ती नियम अथवा किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा तत्समय प्रवृत्त कानून में किसी बात के होते हुए भी संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में उत्पन्न रिक्ति पर भर्ती के लिए राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के स्थानीय निवासी ही भर्ती के पात्र होंगे। 10 साल की अवधि के लिए उक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख से। आदेश और अधिसूचना, जिसकी वैधता पर सवाल उठाया गया है, यहां उद्धृत किया गया है:

"झारखण्ड सरकार, विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा अधिसूचना, रांची, दिनांक 14.07.2016 संख्या 14 स्थानीयता नीति - 14 - 01/2015/5938 जबकि भारत के संविधान की कंडिका 5 के उप-कंडिका (1) के तहत राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश

दे सकेगा कि संसद का या राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं, लागू नहीं होगा।

“और जबकि, राज्य में अनुसूचित क्षेत्र की विशेषता है, निम्न मानव विकास सूचकांकों, पिछड़ेपन, 2017 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1387 और इसी तरह के मामलों में दूरस्थता गरीबी और जबकि अनुसूचित क्षेत्रों के सामाजिक संकेतक औसतन, असमान स्थलाकृति, जल संसाधनों की कमी, वन के कैनोपी कवरेज में नुकसान और अनियंत्रित तेजी से औद्योगिकीकरण के कारण राज्य में सामाजिक संकेतकों के औसत से कम हैं;

और जबकि, ऊपर अभिज्ञात कारकों को स्वीकार करते हुए, झारखंड की जनजातीय सलाहकार परिषद ने विभिन्न नियुक्ति नियमों में यथा प्रतिष्ठापित पात्रता शर्तों के निलंबन के लिए राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी करने की सिफारिश की है। 13 जिलों अर्थात् साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां से संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों द्वारा शत-प्रतिशत जिला स्तरीय श्रेणी-3 और श्रेणी-4 पदों पर नियुक्ति हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

और जबकि, अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के पक्ष में रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करके अनुसूचित क्षेत्रों में लोगों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए झारखंड के राज्यपाल;

निम्नलिखित अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।“

“ झारखण्ड सरकार, विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा अधिसूचना, रांची, दिनांक 14.07.2016 संख्या 14/स्थानीता नीति-14-01/2015/5938 भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 के उप-कंडिका (1) द्वारा प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निर्देश देते हैं कि संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न नियुक्ति नियमों में उल्लिखित "नियुक्ति की पात्रता" के बारे में प्रावधान, सरकार समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संशोधन कर सकती है नीचे अनुच्छेद 309 (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। जिला संवर्ग के पदों को इसके बाद विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधित और लागू माना जाएगा, अर्थात्: -

“इन नियमों या किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम या कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केवल साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची जिलों के स्थानीय निवासी, खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1387 और इसी तरह के मामले सरायकेला-खरसावां, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला कैडर के वर्ग -3 और वर्ग 4 पदों पर उत्पन्न रिक्तियों पर भर्ती के लिए पात्र होंगे।

आदेश द्वारा

झारखंड के राज्यपाल के नाम से

हस्ता/- निधि खरे

सरकार के प्रधान सचिव

16.1. इस प्रकार, पूर्वोक्त आक्षेपित आदेश/अधिसूचना द्वारा झारखंड के राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि विभिन्न नियुक्तियों में उल्लिखित "नियुक्ति की पात्रता" जिला संवर्ग पदों पर नियुक्ति के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा विरचित नियम और प्रवर्तित समझे जाएंगे कि विभिन्न विभागों में श्रेणी-III और श्रेणी-IV के पदों की शत-प्रतिशत संख्या 13 अनुसूचित जिलों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया जाएगा केवल संबंधित जिले। इस स्तर पर, यह नोट किया जाना अपेक्षित है कि उक्त अधिसूचना द्वारा केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए सेवा नियमों को ही संशोधित किया गया था और यहां तक कि अधिसूचना के साथ संलग्न सूची में संसद अथवा राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम अंतवष्ट नहीं है। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने संवैधानिक पीठ के निर्णय का पालन किया और उस पर भरोसा किया - चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) सरकार ने दिनांक 14.07.2016 के पूर्वोक्त आदेश/अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित किया है और इसके परिणामस्वरूप दिनांक 28 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 21/2016 के अनुसरण में की गई प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है, जैसा कि विज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया है। 4.2.2017 को केवल उन जिलों के स्थानीय निवासियों से संबंधित अनुसूचित जिलों में। 199 कि उसके बाद, उच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जिलों में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के सभी 8423 पदों को नए सिरे से विज्ञापित किया जाएगा और कानून के अनुसार नई चयन प्रक्रिया

शुरू की जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश और पूर्वोक्त निर्देश वर्तमान अपीलों की विषय वस्तु है।

17. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं, वे इस प्रकार हैं:

1. क्या भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्या राज्यपाल भारत के संविधान के भाग III के विपरीत, विशेष रूप से, अनुच्छेद 16(1) और (2) के तहत गारंटीकृत 100% आरक्षण प्रदान कर सकते हैं?

2. क्या भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए प्रासंगिक भर्ती नियमों को संशोधित करने की शक्ति है?

3. कैसा आदेश?

17.1. पूर्वोक्त प्रश्नों/मुद्दों पर विचार करते समय उन संगत संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है जिनका सीधा असर होगा, जो निम्नानुसार हैं: -

"अनुच्छेद13. ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत हों या उनका अल्पीकरण करते हों (1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ, जहाँ तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं, ऐसी विसंगति की सीमा तक शून्य होंगी।

(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई कोई विsधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी।

(3) इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-(क) "विधि" के अन्तर्गत कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रीति या उपयोग है जिसमें भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल है;

(ख) "प्रवृत्त विधियों" के अन्तर्गत ऐसी विधियां हैं जो इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई या बनाई गई हैं और जिनका पहले निरसन नहीं किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग तब बिल्कुल भी या विशिष्टत क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं हो सकेगा।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी।

अनुच्छेद 16 . सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता - (1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।

(2) कोई भी नागरिक, केवल धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से कोई भी, राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अयोग्य या भेदभाव किया जा सकता है।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को किसी वर्ग या वर्गों के संबंध में विहित करने वाली कोई विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। एक कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति 1[के तहत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी की सरकार, या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास के बारे में कोई आवश्यकता] ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में [पारिणामिक ज्येष्ठता सहित पदोन्नति के मामलों में] या पदों के वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जो, राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में राज्य सरकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष की किसी रिक्त रिक्ति पर, जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किए गए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरी जाने वाली रिक्तियों के एक पृथक वर्ग के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और रिक्तियों के ऐसे वर्ग पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ विचार नहीं किया जाएगा जिसमें पचास प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने के लिए इन्हें भरा जा रहा है। उस वर्ष की कुल रिक्तियों की संख्या पर आरक्षण।

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या संप्रदाय संस्था के कार्यकलाप के संबंध में किसी पद का पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला या किसी विशिष्ट संप्रदाय का सदस्य होगा।

अनुच्छेद 46. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि - राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

अनुच्छेद 244. अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन - (1) पाँचवीं अनुसूची के उपबन्ध 2 राज्यों से भिन्न किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। असम3[,4] मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।

(2) छठी अनुसूची के उपबंध 2[असम 3[, 5[मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम] राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को लागू होंगे।

अनुच्छेद 246. (1) संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय-वस्तु और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा (1) खंड (2) और खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद को सातवीं अनुसूची की सूची 1 (इस संविधान में जिसे "संघ सूची" कहा गया है) में प्रगणित विषयों में से किसी के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधान-मंडल को भी सातवीं अनुसूची की सूची 3 (इस संविधान में जिसे "समवर्ती सूची" कहा गया है) में प्रगणित विषयों में से किसी के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है।

(3) खंड (1) और खंड (2) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधान-मंडल को ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए सातवीं अनुसूची की सूची II (इस संविधान में "राज्य सूची" के रूप में संदर्भित) में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(4) संसद को भारत के राज्यक्षेत्र के ऐसे किसी भाग के लिए किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है जो राज्य में सम्मिलित न हो, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों न हो।

अनुच्छेद 254. संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के बीच असंगति - (1) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया किसी विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के प्रतिकूल है जो संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, या के किसी भी प्रावधान के लिए समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से किसी एक विषय के संबंध में विद्यमान विधि के अनुसार, तब, खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में पारित की गई हो या यथास्थिति, विद्यमान विधि अभिभावी होगी और बनाई गई विधि राज्य के विधान-मंडल द्वारा, प्रतिकूलता की सीमा तक, शून्य होगा।

(2) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि 1 समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से किसी एक के संबंध में सूची में एक के प्रावधानों के प्रतिकूल कोई प्रावधान शामिल है। संसद द्वारा बनाई गई विधि या उस विषय के संबंध में विद्यमान विधि के संबंध में इस प्रकार बनाई गई विधि यदि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दी गई है और उस पर उसकी अनुमति प्राप्त हो गई है तो उस राज्य में लागू होगी:

परंतु इस खंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में किसी समय कोई विधि अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी, जिसके अंतर्गत उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि को जोड़ने, संशोधन, परिवर्तन करने या निरसित करने वाली विधि भी है।

309. सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें संघ या राज्य - इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे:

परन्तु वह राष्ट्रपति या ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे वह संघ के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों की दशा में निदेश दे, और किसी राज्य के राज्यपाल के लिए या ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे वह राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों की दशा में निदेश दे, सक्षम होगा, ऐसी सेवाओं और पदों पर भर्ती का विनियमन करने वाले नियम और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें तब तक बनाए रखना जब तक कि इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान-मंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस निमित्त उपबंध न कर दिया जाए और इस प्रकार बनाए गए नियम ऐसे किसी अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।

संविधान की पांचवी अनुसूची की कंडिका 5

5.अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कानून (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा या किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उपकंडिका के अधीन दिया गया कोई निदेश लागू नहीं करेगा (ग) भूतलक्षी प्रभाव डालने के लिए दिया जाए।

(2) राज्यपाल किसी ऐसे राज्य में किसी भी क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए विनियम बना सकता है जो उस समय अनुसूचित क्षेत्र है। विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम-

(क) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों द्वारा या उनमें से भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या प्रतिबन्ध;

(ख) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति; के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करें

(ग) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देने वाले व्यक्तियों द्वारा साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन करना।

(3) ऐसा कोई विनियम बनाने में, जैसा कि इस कंडिका के उपकंडिका (2) में निर्दिष्ट है, राज्यपाल1-संसद के या राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नाधीन क्षेत्र पर तत्समय लागू हो, निरसन या संशोधन करना।

(4) इस कंडिका के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक उन पर अनुमति न दे दी जाए, तब तकउसे, कोई प्रभाव नहीं होगा।

(5) इस कंडिका के अधीन कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि विनियम बनाने वाले राज्यपाल ने, उस दशा में, जहां राज्य के लिए जनजाति सलाहकार परिषद है, ऐसी परिषद से परामर्श न किया हो।

17.2. अनुच्छेद 246(1) के अनुसार, खंड (2) और खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद को सातवीं अनुसूची (संघ सूची) की सूची में प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति होगी। अनुच्छेद 246(2) के अनुसार, खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और, खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधान-मंडल को भी

किसी के संबंध में विधि बनाने की शक्ति होगी। (2) सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची) की सूची III में प्रगणित मामले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी प्रावधान के प्रतिकूल है, जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, या किसी एक मामले के संबंध में मौजूदा कानून के किसी प्रावधान के प्रतिकूल है समवर्ती सूची में प्रगणित तब खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में पारित की गई हो या यथास्थिति, विद्यमान विधि अभिभावी होगी और राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि प्रतिकूलता की सीमा तक, अभिभावी होगी शून्य होना। इस प्रकार, उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संसद द्वारा बनाई गई कानून सर्वोच्च है और प्रबल होगी और प्रत्येक राज्य/राज्य विधानमंडल संसद द्वारा बनाए गए कानून से आबद्ध है। हालाँकि, भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची का कंडिका 5 एक अपवाद है। पूर्वोक्त उपबंधों के होते हुए भी, संसद द्वारा बनाई गई विधि को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए, राज्यपाल निदेश दे सकेगा कि संसद का या राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र या किसी भाग को लागू नहीं होगा। सरकार ने राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अध्यधीन लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिदष्ट करे। इस प्रकार, अभिव्यक्ति "इस संविधान में किसी भी बात के बावजूद" संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कानून की सर्वोच्चता के बारे में संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है। भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) के बारे में अपीलकर्ताओं की ओर से किए गए प्रस्तुतियों पर विचार करते समय इस पहलू पर नीचे चर्चा की जाएगी।

17.3. इसलिए, इस न्यायालय के विचारार्थ जो छोटा प्रश्न रखा गया है, वह यह है कि क्या राज्यपाल संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिकाग (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों में 100% आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं जो भाग III के तहत गारंटीकृत नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के तहत? क्या ऐसा आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 से प्रभावित नहीं होगा?

18. इसी प्रश्न पर इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा निम्नलिखित के मामले में विचार किया गया चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर)। इस न्यायालय के समक्ष आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने भारत के संविधान की अनुसूची 5 के कंडिका 5 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जी.ओ. जारी किया, जिसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों

में शिक्षकों के पदों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया गया था, भले ही किसी अन्य आदेश या नियम या कानून में निहित कुछ भी हो। कई प्रश्न संविधान पीठ के पास भेजे गए। निम्नलिखित प्रश्नों को अंततः संवैधानिक पीठ द्वारा विचार के लिए तैयार किया गया था:

(1) भारत के संविधान की अनुसूची 5 के कंडिका 5(1) का दायरा क्या है?

(क) क्या यह प्रावधान राज्यपाल को नया कानून बनाने का अधिकार देता है?

(ख) क्या यह शक्ति अधीनस्थ विधान तक विस्तारित है?

(ग) क्या इसमें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को ओवरराइड कर सकता है?

(घ) क्या इस तरह की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के किसी समानांतर प्रयोग को ओवरराइड करता है? अनुच्छेद 371घ?

(2) क्या संविधान के तहत 100% आरक्षण की अनुमति है?

(3) क्या अधिसूचना केवल के तहत एक वर्गीकरण पर विचार करती है अनुच्छेद 16(1)और आरक्षण के तहत नहीं अनुच्छेद 16(4)?

(4) क्या अधिसूचना में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्रता की शर्तें (यानी मूल और कट-ऑफ तिथि) उचित हैं?

18.1. संख्या 1(क), (ख), (ग) और प्रश्न संख्या 3 ऊपर दिए गए हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं।

18.2. संगत संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद अर्थात् अनुच्छेद 244, पांचवीं अनुसूची, जहां तक प्रश्न संख्या 1 (क) अर्थात क्या प्रावधान राज्यपाल को एक नया कानून बनाने का अधिकार देता है, यह देखा गया है और संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि कंडिका 5(1) की स्पष्ट भाषा को देखते हुए राज्यपाल की नया कानून बनाने की शक्ति उपलब्ध नहीं है, पांचवीं अनुसूची ऐसी शक्ति को मान्यता या प्रदान नहीं करती है, लेकिन केवल कानून को लागू करने या अपवादों या संशोधनों के साथ इसे लागू करने की शक्ति नहीं है। (कंडिका 51)

18.3. प्रश्न संख्या 1 (ख) का उत्तर देना अर्थात क्या शक्ति का विस्तार है अधीनस्थ विधान के मामले में, यह देखा गया और माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों को संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम नहीं कहा जा सकता है। यह देखा गया और माना गया कि संविधान की अनुसूची 5 के कंडिका 5(1) के तहत राज्यपाल की शक्ति संसद या राज्य के विधानमंडल के अधिनियमों को संशोधित करने या लागू नहीं करने तक सीमित है। इस प्रकार, इस प्रक्रिया में नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता था अनुसूची 5 के कंडिका 5(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का यह आगे देखा गया और माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों को राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित नहीं कहा जा सकता है। (कंडिका 52 से 57)।

18.4. प्रश्न 1(ग) का उत्तर देते समय अर्थात क्या पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को ओवरराइड कर सकता है, इस मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में रिपोर्टेड (1973) 4 एससीसी 225; वामन राव बनाम भारत संघ में रिपोर्टेड (1981) 2 एससीसी 362; आई.आर. कोएल्हो (मृत) एलआरएस बनाम टीएन राज्य द्वारा में रिपोर्टेड (2007) 2 एससीसी 1; एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य में रिपोर्टेड (2001) 7 एससीसी 126 ; अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सहरावदी में रिपोर्टेड (1981) 1 एससीसी 722; ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य में रिपोर्टेड(1974) 2 एससीसी 3; मेनका गांधी बनाम भारत संघ में रिपोर्टेड (1978) 1 एससीसी 248; रमना दयाराम शेट्टी बनाम भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य [1979] 3 एससीसी 489 : [1979] 3 एससीआर 1014; नीलिमा मिश्रा बनाम हरिंदर कौर पेंटल (1990) 2 एससीसी 746: [1990] 2 एससीआर 84; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (1992) 2 एससीसी 343: यह अंततः देखा गया और माना गया कि अनुसूचित क्षेत्रों से निपटने के लिए राज्यपाल को दी गई शक्ति का मतलब संविधान पर हावी होना नहीं है। राज्यपाल की शक्ति संसद और राज्य की विधायी शक्ति के समरूप है। विधायी शक्ति का प्रयोग संसद अथवा राज्य द्वारा संविधान के भाग-III के उपबंधों के अध्यधीन किया जा सकता है। इसके बाद, अंततः यह देखा गया और माना गया कि राज्यपाल की शक्ति संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का अधिक्रमण नहीं करती है। इसका प्रयोग भाग-III और संविधान के अन्य उपबंधों के अध्यधीन किया जाना होता है। यह आगे देखा गया और माना गया कि जब पांचवीं अनुसूची का कंडिका 5 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है, तो इसका मतलब मनमानी शक्ति प्रदान करना नहीं है। संविधान

कभी भी संवैधानिक अधिकारियों को कोई मनमानी शक्ति प्रदान करने का लक्ष्य नहीं रख सकता है। इनका प्रयोग संविधान के उद्देश्यों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए विधिक और युक्तिसंगत तरीके से किया जाना होता है। ये शक्तियां कम होने के लिए नहीं बल्कि संवैधानिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए हैं। (कंडिका (78)। ऐसा मानते हुए, संवैधानिक पीठ ने संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) में प्रयुक्त गैर-बाधा खंड के प्रभाव पर भी विचार किया। गैर-बाधा खंड के प्रभाव पर विचार करते समय, यह कंडिका 69, 70, 74 और 75 में निम्नानुसार देखा गया है:

“69. संविधान की पांचवीं अनुसूची का कंडिका 5(1) एक गैर-बाधा खंड से शुरू होता है। संविधान के अन्य उपबंधों पर प्रयोज्यता की तुलना में अबाधक खंड का क्या प्रभाव है? क्या कंडिका 5(1) के उपबंध संविधान के अन्य सभी उपबंधों पर अभिशासित हैं? क्या संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं और उन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है?

70. इस संविधान में किसी बात के बावजूद" शब्दों से शुरू होने वाली पांचवीं अनुसूची के प्रावधान को संशोधन शक्ति की सीमाओं के बाहर प्रावधान को हटाने के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और बुनियादी विशेषताओं के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।

74. संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) में निहित गैर-आज्ञाकारी खंड का अर्थ है कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 129 में निहित प्रावधानों के बावजूद शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 245 संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार, संसद को कानून बनाने और राज्य के विधानमंडल को शक्ति प्रदान करना। संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। इस पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि यह होगा के आसपास अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन है।

75. अबाध खंड पर भी विचार किया गया है श्रीमती परायणकंडियाल एरावथ कनप्रवन कल्लियानी अम्मा और अन्य बनाम के. देवी एवं अन्य., एआईआर 1996 एससी 1963। कार्यक्षेत्र पर उस संदर्भ और उद्देश्य के आधार पर विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे तराशा गया है

18.5. जैसा कि ऊपर देखा गया है, हमारा यह भी मत है कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) में निहित अबाधित खंड को अनुच्छेद के बावजूद संसद द्वारा बनाए गए कानून को निलंबित और/या संशोधित करने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में पढ़ा जाएगा भारत

के संविधान की धारा 244 और 245 के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 और 245 के तहत एक समझौता किया गया है। इसे संविधान के भाग-3 में निहित प्रावधानों के बावजूद राज्यपाल को पूर्ण शक्ति और/या निरंकुश शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

19. प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देते समय अर्थात क्या 100% आरक्षण संविधान के तहत 100% आरक्षण पर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने और/या विचार करने के बाद और अनुच्छेद 14, 15 और 16 और अन्य प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद और इंद्र साहनी (ऊपर) , अंततः यह देखा गया और माना गया कि आरक्षण जो सुरक्षात्मक मोड द्वारा अनुमेय है, इसे 100 प्रतिशत बनाकर भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य हो जाएगा। यह आगे देखा गया है और माना गया है कि सार्वजनिक रोजगार के अवसर को पदधारियों के लिए अन्यायपूर्ण रूप से वंचित नहीं किया जा सकता है, और यह कुछ का विशेषाधिकार नहीं है। नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं और एक वर्ग के लिए अवसर सृजित करके अन्य लोगों को पूरी तरह से बहिष्कृत करने पर भारत के संविधान के संस्थापकों ने विचार नहीं किया है।

19.1. इस प्रकार, के मामले में चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 (1) में प्रदत्त राज्यपाल की शक्तियों सहित प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर विस्तार से विचार करने के बाद, अंततः इसका अवलोकन किया जाता है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया जाता है:

“166. हम हमारे द्वारा संदर्भित प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देते हैं:

प्रश्न संख्या 1: राज्यपाल संविधान की पांचवीं अनुसूची कंडिका 5 (1) के तहत शक्तियों के प्रयोग में, संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम से संबंधित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल यह निदेश दे सकता है कि ऐसी विधि अनुसूचित क्षेत्रों या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगी। राज्यपाल को ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र या राज्य में उसके किसी भाग पर ऐसी विधि लागू करने का अधिकार है और वह भूतलक्षी प्रभाव से अधिसूचना भी जारी कर सकता है।

प्रश्न संख्या 1 (क): राज्यपाल को संविधान की पांचवीं अनुसूची कंडिका 5 (1) के तहत यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या अपवादों और संशोधनों के साथ लागू नहीं होगा।

राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के संशोधन/संशोधन के मापदंडों के भीतर प्रावधान कर सकता है। नए कानून/विनियम बनाने की शक्ति संविधान की पांचवीं अनुसूची कंडिका 5(2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है, न कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) के तहत।

प्रश्न संख्या 1(ख): संविधान की पांचवीं अनुसूची कंडिका 5 (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति अधीनस्थ कानून तक विस्तारित नहीं है, यह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा संप्रभु कार्य में अधिनियमित अधिनियम के संबंध में है जिससे निपटा जा सकता है।

प्रश्न संख्या 1(ग): संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, जिन्हें कानून बनाते समय संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पालन किया जाना चाहिए और संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को ओवरराइड नहीं कर सकता है।

प्रश्न संख्या 1(ड): भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना को ओवरराइड नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 371घ. शक्ति का प्रयोग इस प्रकार के आदेश के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से किया जाना है अनुच्छेद 371घ, उसके विरोध में नहीं।

प्रश्न संख्या 2: सरकारी आदेश एमएस. संख्या 3/2000 100 प्रतिशत के लिए प्रावधान संविधान के तहत आरक्षण की अनुमति नहीं है, बाहरी सीमा 50 प्रतिशत है जैसा कि इंद्रा साहनी (ऊपर) में निर्दिष्ट है।

प्रश्न संख्या 3: प्रश्नगत अधिसूचना को अनुच्छेद 16(1). एक बार अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 16(4), ऐसा कोई नहीं शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है अनुच्छेद 16(1). यह अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(4) का उल्लंघन है।

प्रश्न संख्या 4: आरक्षण का लाभ उठाने के लिए कट-ऑफ तारीख यानी 26-1-1950 के साथ अधिसूचना में पात्रता की शर्तें अनुचित और मनमानी हैं।

20. चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना आदेश/ण्टीईआटीण 5938 और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.07.2016 जो संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करता है, केवल यह कहा जा सकता है कि

(1) भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के कंडिका 5(1) के अधीन राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों के दायरे और परिधि से परे;

(2) केवल संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए प्रदान किया गया 100% आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन होगा और भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत गैर-अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के अन्य उम्मीदवारों / नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करेगा;

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए भर्ती नियमों, 2015 को संशोधित करने वाले भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 (1) के तहत राज्यपाल द्वारा शक्तियों का प्रयोग जिसे अधीनस्थ कानून कहा जा सकता है और जिसे अधिनियम नहीं कहा जा सकता है या संसद और/या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति के दायरे और दायरे से बाहर है।

21. अपीलकर्ताओं की ओर से और राज्य प्रस्तुतिकरण है कि चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय है कि उक्त मामले में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण था जिसे अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए भी माना गया था और चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) जहां तक कोई सार नहीं है, उस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह है अनुपात निर्णय और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट कानून निर्धारित किया गया है। संविधान पीठ का निर्णय जो प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और इस न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार करने के बाद दिया गया है, वह हमारे लिए बाध्यकारी है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय के प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और/या बाध्यकारी निर्णयों पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। के मामले में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ का फैसला चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) यह भी नहीं कहा जा सकता है प्रति इंकुरियम इस न्यायालय के किसी भी बाध्यकारी निर्णय की तुलना में विपरीत दृष्टिकोण अपनाने और/या अनदेखा करना। जैसा कि ऊपर देखा गया है, हम दोहराते हैं कि हम इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से बंधे हैं, विशेष रूप से, इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले से। हम इस मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी संविधान पीठ के फैसले का पालन नहीं करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। चेबरोलू लीला

प्रसाद राव (ऊपर)। हम इस मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं। चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर)। हम इस मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करने का कोई कारण नहीं देखते हैं जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से पेश कुछ वकीलों द्वारा प्रार्थना की गई थी – अनुसूचित क्षेत्रों / जिलों से संबंधित उम्मीदवार।

22. उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता द्वारा एक अन्य निवेदन यह किया गया था कि अनुसूचित जिलों में निम्न मानव विकास सूचकांकों, पिछड़ेपन, गरीबी आदि के कारकों को दूर करने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए, अनुसूचित जिलों में निवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। अन्यथा भी, अनुसूचित जिलों में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह अत्यधिक लाभकारी होगा, यदि उन्हें बाहरी लोगों की तुलना में स्थानीय शिक्षकों द्वारा अपनी जनजातीय भाषा में पढ़ाया जाता है, जो स्थानीय भाषा से अच्छी तरह परिचित नहीं हो सकते हैं। शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस तरह के सबमिशन को उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले किसी भी वकील द्वारा भारी रूप से दबाया नहीं गया था। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि के मामले में चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) इस न्यायालय की संविधान पीठ ने भी इस सबमिशन पर विचार किया और कंडिका 130 और 131 में निम्नानुसार अवलोकन करके इसे नकार दिया:

"130. कोई कानून यह नहीं कहता है कि केवल आदिवासी शिक्षक ही अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षण का कार्य करेंगे; इस प्रकार, कार्रवाई तर्क की अवहेलना करती है। एक और कारण स्कूलों में शिक्षकों की अभूतपूर्व अनुपस्थिति है। यह उन क्षेत्रों में जनजातीय शिक्षकों को 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का आधार नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रों में अन्य श्रेणियों के पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हैं। जब एक जिला के लिए एक इकाई है रोजगार के आधार पर अभूतपूर्व अनुपस्थिति के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए लागू आधार अप्रासंगिक है और 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का आधार नहीं बन सकता है। अनुपस्थिति की समस्या का समाधान बेहतर सुविधाएं और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके किया जा सकता था।

131. आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रोत्साहन को कवर करने और शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दिया गया कारण भी समान रूप से सार से रहित

है। दूसरों को अवसर से वंचित करके, यह नहीं कहा जा सकता है कि कारण के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जा सकता था छात्रों और प्रभावी शिक्षा की, और अब इसे मजबूत किया जा सकता था। 100 फीसदी आरक्षण के प्रावधान मेरिट की अनदेखी कर रहे हैं। इस प्रकार, यह शैक्षिक अवसंरचना और स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की योग्यता और स्तर को कमजोर करेगा। विद्याथयों का शैक्षिक विकास केवल आरक्षण प्रदान करके नियुक्त शिक्षकों के एक विशेष वर्ग द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिसमें योग्यता की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। आदर्श दृष्टिकोण यह होगा कि शिक्षकों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाए।

22.1. अन्यथा भी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह सच हो सकता है कि जहां तक बुनियादी शिक्षा (प्राथमिक अनुभाग के स्तर पर) का संबंध है, यह प्राथमिक स्तर पर छात्र (बुनियादी शिक्षा प्रदान करते समय) को अपनी जनजातीय भाषा में पढ़ाए जाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यही सिद्धांत तब लागू नहीं हो सकता है जब प्रश्न उच्च स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का हो अर्थात 5 से ऊपर की कक्षा। अतः यदि अन्य क्षेत्रों (गैर-अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों) के अभ्यर्थियों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाता है (जो अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के उम्मीदवारों से अधिक मेधावी हो सकते हैं) तो यह अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित छात्रों के लिए अधिक लाभदायक होगा और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा। स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता से उनही/कुछ जिलों के शिक्षकों के पक्ष में 100% आरक्षण देकर और अधिक मेधावी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाकर समझौता नहीं किया जा सकता है।

23. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि दिनांक 14.07.2016 के विवादित आदेश/अधिसूचना और संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने वाले विज्ञापन को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन कहा जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण करने वाला आक्षेपित आदेश/अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन है क्योंकि यह भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत गैर-अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवार को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या कम करता है और अनुच्छेद 13(2) के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। इसलिए, संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण

करने वाली अधिसूचना/आदेश/विज्ञापन को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधिकारातीत होगा और शून्य होगा।

24. भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(3) के अधीन भी, यह केवल संसद ही है जो ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पूर्व राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास की किसी अपेक्षा को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास की किसी अपेक्षा के संबंध में किसी वर्ग या वर्ग के नियोजन या नियुक्ति के संबंध में या किसी राज्य के भीतर नियुक्ति के संबंध में कोई विधि विहित करने के लिए प्राधिकृत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार, संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद के पास और किसी राज्य के विधान-मंडल को ऐसे किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के लिए अनुच्छेद 16 के खंड (3) के अधीन उपबंधित किया जा सकता है। इसलिए, संबंधित अनुसूचित क्षेत्र/जिलों के स्थानीय निवासी के लिए 100% आरक्षण (निवासी के आधार पर आरक्षण) करने वाली आक्षेपित अधिसूचना/आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 के साथ पठित अनुच्छेद 16(3) के अधिकारातीत है।

25. चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने और धारण करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि राज्य द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.7.2016,सरकार स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण प्रदान कर रही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 13(2), 15 और 16(2) के असंवैधानिक और अधिकारातीत होने के कारण अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों से संबंधित है। यह सही रूप से देखा गया है और माना गया है कि उक्त अधिसूचना और आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (3) और 35 (क-झ) का भी उल्लंघन करेगा। उच्च न्यायालय ने भी सही टिप्पणी की है और माना है कि पूर्वोक्त अधिसूचना और आदेश भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के कंडिका 5 (1) के अधिकारातीत है। हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

26. अब, जहां तक संबंधित अपीलकर्ताओं की ओर से की गई प्रार्थना का संबंध है- अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवार जहां तक उनकी यह दलील है कि पहले से ही नियुक्त कर लिया गया था और जिनकी नियुक्तियों को अवैध माना गया है और उनकी यह दलील कि उच्च न्यायालय के निर्णय को भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया जाए, का संबंध है, इसे स्वीकार नहीं किया जाए। के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया

जाता है? चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) , जिसके द्वारा, इस कोर्ट ने पहले से की गई नियुक्तियों और एक और निर्णय को बचाया- इस न्यायालय ने कैलाश चंद शर्मा (ऊपर) के मामले में जहां तक सवाल है, ऐसी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दिनांक 14.07.2016 की अधिसूचना/आदेश को अधिकारातीत माना जाता है, तो आवश्यक परिणाम के रूप में, ऐसी असंवैधानिक अधिसूचना/आदेश के अनुसरण में की गई नियुक्तियों को रद्द करना होगा और ऐसी नियुक्तियों को नियमित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सचिव कर्णाटक राज्य बनाम उमादेवी (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, अवैध और अनियमित नियुक्ति के बीच एक अंतर है और यह कि पूर्व को नियमित नहीं किया जा सकता है।

26.1. अब, जहां तक इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश पर निर्भरता का संबंध है। चेबरोलू लीला प्रसाद राव (ऊपर) (कंडिका 167 से 169) के संबंध में, प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय के समक्ष नियुक्तियां 1986 से की गई थीं और ऐसी नियुक्तियां कई वर्षों तक जारी रहीं और इसलिए, इस न्यायालय ने पहले से की गई नियुक्तियों को बचाया जो कई वर्षों तक जारी रहीं। पहले से की गई नियुक्तियों (जो इस तरह अवैध पाई गई थीं) को बचाते हुए, इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि "विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, नियुक्त किए गए पदधारियों को गलती पर नहीं कहा जा सकता है और वे अनुसूचित जनजाति के हैं"। यहां तक कि नियुक्तियों को बचाना भी सशर्त था जैसा कि कंडिका 168 में देखा गया है।

26.2. अब, जहां तक के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है कैलाश चंद शर्मा (ऊपर) उच्च न्यायालय के फैसले को भविष्यलक्षी रूप से लागू करने और/या पहले से की गई नियुक्तियों को बचाने की प्रार्थना के समर्थन में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कंडिका 47 में भी उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से यह देखा गया है कि न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियों के ढांचे के भीतर कार्य करके मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर राहत को ढाला है संविधान का। आगे यह देखा गया है कि यहां तक कि निर्णय को भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, एक बार जब इस न्यायालय ने विशेष रूप से देखा है कि उक्त निर्णय को भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है, तो अपीलकर्ताओं की ओर से उक्त निर्णय पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था।

26.3. वर्तमान मामले में, आक्षेपित अधिसूचना/आदेश वर्ष 2016 का है। टीजीटी भर्ती प्रक्रिया दिनांक 28.12.2016 के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई थी, जिसे 04.02.2017 को संशोधित किया गया था और वर्ष 2017 में ही भर्ती प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान इसे चुनौती दी गई थी। यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि दिनांक 21.2.2019 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि रिट याचिका के संस्थान के बारे में व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किया जाए ताकि इच्छुक व्यक्ति रिट याचिका में हस्तक्षेप कर सके। इस तरह के नोटिस के अनुसरण में, कई वादकालीन आवेदन/हस्तक्षेपकर्ता आवेदन दायर किए गए, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई। इसके बाद, दिनांक 18.09.2019 के आदेश द्वारा, मामलों में शामिल संवैधानिक महत्व के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले को एक बड़ी बेंच। दिनांक 18.09.2019 के इसी आदेश से उच्च न्यायाल आक्षेपित अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.7.2016 के आगे कार्यान्वयन और संचालन पर रोक लगा दी, बशर्ते कि पहले से की गई नियुक्तियां, यदि कोई हों। इस प्रकार, पूर्वोक्त से यह देखा जा सकता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता हमेशा सतर्क और मेहनती होते हैं और पहले उपलब्ध अवसर पर उच्च न्यायालय से संपर्क करते हैं। में नियुक्ति के लिए उनके मामलों पर विचार करने के लिए उनका मूल्यवान अधिकार अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों को छीन लिया गया है। वे उच्च न्यायालय के समक्ष सफल रहे हैं। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निर्णय अपीलकर्ताओं की ओर से उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश देने के लिए निर्भर करता है न्यायालय मामले के तथ्यों पर भविष्यलक्षी रूप से लागू नहीं होगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं की ओर से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को भावी रूप से लागू करने की प्रार्थना, खारिज करने योग्य है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

27. हालांकि, एक ही समय में और तथ्यों और परिस्थितियों में मामले की और विशेष रूप से, पहले से की गई नियुक्तियों को रद्द करने और रद्द करने से अधिक जटिलता की संभावना है जो व्यापक जनहित में नहीं होगी। इसलिए, हमारी राय है कि यह राहत को ढालने के लिए एक उपयुक्त मामला है। इस तथ्य के अलावा कि अपीलकर्ता – अनुसूचित से संबंधित चयनित उम्मीदवार यदि पहले से की गई नियुक्तियों को संरक्षित नहीं किया जाता है तो झारखण्ड राज्य में हजारों विद्यालय शिक्षकों के बिना रह जाएंगे और अंतत जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे ही इसका खामियाजा भुगतेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों

में की गई सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराया है। राज्य को नई भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें काफी समय लग सकता है और इस बीच, रिक्तियां होंगी और जनजातीय क्षेत्रों में कई स्कूल शिक्षकों के बिना होंगे। इसलिए, न्यायालय को मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अधिकारों के बीच भी संतुलन बनाना होगा पहले से नियुक्त व्यक्तियों/शिक्षकों के रूप में (जिनकी नियुक्तियां अवैध मानी जाती हैं) और जनहित भी। इसलिए, हमारी राय है कि राहत को ढालते समय, एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बजाय, यदि संशोधित योग्यता के आधार पर और संबंधित श्रेणियों के खिलाफ प्रत्येक टीजीटी विषय में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त पहले से प्रकाशित कट ऑफ के आधार पर नई चयन सूची तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। इससे न्याय सिद्ध होगा और प्रतिस्पर्धा अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित होगा ताकि पहले से ही नियुक्त व्यक्तियों को अपना रोजगार/नौकरी से हाथ न धोना पड़े और साथ ही गैर-अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों को भी अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में योग्यता के आधार पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति का अवसर मिल सके। हमारा विचार है कि नए सिरे से जाने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। डे नोवो आक्षेपित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित भर्ती प्रक्रिया।

28. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 14.07.2016 को असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16(2), 16(3) और 35(क-झ) के अधिकारातीत घोषित करने का समर्थन करते हैं। हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाली वर्तमान अपीलों को एतद्द्वारा पूर्वोक्त सीमा तक खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, साथ ही, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश में जारी किए गए निर्देशों में दिनांक 14.07.2016 की अधिसूचना/आदेश और 2016 के विज्ञापन संख्या 21 दिनांक 28.12.2016 के अनुसार की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करते हुए, जैसा कि 04.12.2017 को संशोधित किया गया था, और नए सिरे से जाने के लिए / डे नोवो अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के लिए भर्ती प्रक्रिया को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है। अब यह निर्देश दिया गया है कि ताजा / डे नोवो भर्ती प्रक्रिया अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में पहले से की गई नियुक्तियों को रद्द करके, राज्य पूरे राज्य के संबंध में संबंधित श्रेणियों के विरुद्ध प्रत्येक टीजीटी विषय में अंतिम चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त पहले से प्रकाशित कट ऑफ के आधार पर मेरिट सूची को संशोधित करेगा और गैर-अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों

(जिलों) से संबंधित संबंधित उम्मीदवारों को उम्मीदवारों की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर तदनुसार समायोजित किया जाएगा। वर्तमान निदेश मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए जारी किए गए हैं कि राज्य में (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों क्षेत्रों में) शिक्षकों के पद पहले से ही रिक्त हैं। हमारा विचार है कि यदि पहले से की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाता है और ऐसे पदों के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में कई स्कूल बिना किसी शिक्षक के होंगे जो अंततः अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित बच्चों के व्यापक सार्वजनिक हित और शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के व्यापक जनहित में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक वर्तमान निर्देश जारी किया जाता है।

वर्तमान अपीलों को आंशिक रूप से पूर्वोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है, जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को संशोधित करती है, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गईं

<u>यह अनुवाद मदन मोहन प्रिय, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>